

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932

CONTENTS

अध्याय— I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
2. परिभाषाएं
3. 1872 के अधिनियम संख्यांक 9 के उपबंधों का लागू होना

अध्याय— II

भागीदारी की प्रकृति

4. "भागीदारी," "भागीदार", "फर्म" और "फर्म का नाम" की परिभाषा
5. भागीदारी प्रास्थिति से सृष्ट नहीं होती
6. भागीदार के अस्तित्व के अवधारण का ढंग
7. इच्छाधीन भागीदारी
8. विशिष्ट भागीदारी

अध्याय— III

भागीदारों के एक दूसरे के प्रति सम्बन्ध

9. भागीदारों के साधारण कर्तव्य
10. कपट से कारित हानि के लिए क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य
11. भागीदारों के अधिकारों और कर्तव्यों को अवधारण भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा होगा
12. कारबार का संचालन
13. पारस्परिक अधिकार और दायित्व
14. फर्म की सम्पत्ति
15. फर्म की सम्पत्ति का उपयोजन
16. भागीदारों द्वारा उपाजित वैयक्तिक लाभ
17. भागीदारों के अधिकार और कर्तव्य

अध्याय— IV

पर—व्यक्तियों से भागीदारों के सम्बन्ध

18. भागीदार फर्म का अधिकर्ता है
19. भागीदार का फर्म के अभिकर्ता के नाते विवक्षित प्राधिकार
20. भागीदार के विवक्षित प्राधिकार का विस्तारण और निर्बन्धन
21. भागीदार का आपात में प्राधिकार
22. फर्म को आबद्ध करने के लिए कार्य करने का ढंग
23. भागीदार द्वारा स्वीकृतियों का प्रभाव
24. कार्यकारी भागीदार को दी गई सूचना का प्रभाव
25. फर्म के कार्यों के लिए भागीदार का दायित्व
26. भागीदार के सदोष कार्यों के लिए फर्म का दायित्व
27. भागीदारों द्वारा दुरुपयोग के लिए फर्म का दायित्व
28. व्यपदेशन
29. भागीदार के हित के अन्तरिती अधिकार
30. अप्राप्तियों को भागीदारी के फायदों में सम्मिलित करना

अध्याय— V

अन्दर आने वाले और बाहर जाने वाले भागीदार

31. भागीदार का प्रविष्ट किया जाना
32. भागीदार का निवृत्त होना
33. भागीदारी का निष्कासन
34. भागीदार का दिवाला
35. मृत भागीदार की सम्पदा का दायित्व
36. बाहर जाने वाले भागीदार को प्रतियोगी कारबार चलाने का अधिकार
37. कुछ दशाओं में बाहर जाने वाले भागीदार का पश्चातवर्ती लाभों में अंश पाने का अधिकार
38. चलत प्रत्याभूति का फर्म में तब्दीली होने से प्रतिसंहरण

अध्याय— VI फर्म का विघटन

39. फर्म का विघटन
40. करारद्वारा विघटन
41. वैवश्यक विघटन
42. किन्हीं आकस्मिकताओं के घटित होने पर विघटन

43. इच्छाधीन भागीदार का सूचना द्वारा विघटन
44. न्यायालय द्वारा विघटन
45. विघटन के पश्चात् किये गये भागीदारों के कार्यों के लिए दायित्व
46. विघटन के पश्चात् कारबार का परिसमापन कराने का भागीदारों का अधिकार
47. परिसमापन के प्रयोजनों के लिए भागीदारों का सतत प्राधिकार
48. भागीदारों के बीच लेख परिनिर्धारण का ढंग
49. फर्म के ऋणों और पृथक ऋणों का संदाय
50. विघटन के पश्चात् उपार्जित वैयक्तिक लाभ
51. समय सपूर्व विघटन में प्रीमियम की वापसी
52. अधिकार, जहां कि भागीदारों की संविदा, कपट या दुर्घ्यपदेशन के कारण विखंडित कर दी गई है
53. फर्म नाम या फर्म की सम्पत्ति को उपयोग में लाने से अवरुद्ध करने का अधिकार
54. व्यापार अवरुधी करार
55. विघटन के पश्चात् गुडविल का विक्रय

अध्याय— VII

फर्मों का रजिस्ट्रीकरण

56. इस अध्याय के लागू होने से छूट देने की शक्ति
57. रजिस्ट्रारों की नियुक्ति
58. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन
59. रजिस्ट्रीकरण
60. फर्म नाम से और कारबार के मुख्य स्थान में हुए परिवर्तनों का अभिलेख
61. शाखाओं के बंद करने और खोलने का टिप्पणित किया जाना
62. भागीदारों के नामों और पतों में तब्दीलियों का टिप्पणित किया जाना
63. फर्म में तब्दीलियों और उसके विघटन का अभिलेखन
64. भूलों का परिशोधन
65. न्यायालय के आदेश से रजिस्टर का संशोधन
66. रजिस्टर और फाईल की गई दस्तावेजों का निरीक्षण
67. प्रतियों का दिया जाना
68. साक्ष्य के नियम
69. रजिस्ट्री न कराने का प्रभाव
70. मिथ्या विशिष्टियां देने के लिए शास्ति
71. नियम बनाने की शक्ति

अध्याय– VIII

अनुपूरक

72. लोक सूचना देने का ढंग
73. निसरित
74. व्यावृत्तियां

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932
(1932 का अधिनियम संख्यांक 9)

(8 अप्रैल, 1932)

भागीदारी से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियम

भागीदारी से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम किया जाता है :-

अध्यय- 1 प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) यह अधिनियम भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह सन् 1932 के अक्टूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा, सिवाय धारा 69 के, जो सन् 1933 के अक्टूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगी

2. परिभाषाएं— इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो—

(क) “फर्म का कार्य” से फर्म के सब भागीदारों या किसी भागीदार या किसी अभिकर्ता का कोई भी कार्य या लोप अभिप्रेत है जिससे फर्म के द्वारा या विरुद्ध प्रवर्तनीय कोई अधिकार उद्भूत होता है,

(ख) “कारबार” के अन्तर्गत हर व्यापार, उपजीविका और वृत्ति आती है,

(ग) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ,

(घ) “पर-व्यक्ति” पद से जब यह किसी फर्म या उसके किसी भागीदार के संबंध में प्रयुक्त किया गया है ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत जो फर्म में भागीदार नहीं है , तथा

(ड.) उन मदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त किए गए हैं, किन्तु इसमें परिभाषित नहीं है और भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में समनुदष्टि है ।

3. 1872 के अधिनियम संख्यांक 9 के उपबंधों का लागू होना— भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनिरसित उपबंध वहां तक के सिवाय, जहां तक कि वे इस अधिनियम के अभिव्यक्त उपबंधों से असंगत है, फर्मों को लागू होते रहेंगे ।

अध्याय-2 भागीदारी की प्रकृति

4. "भागीदारी," "भागीदार", "फर्म" और "फर्म का नाम" की परिभाषा— "भागीदारी" उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है, जिन्होंने किसी ऐसे कारबार के लाभों में अंश पाने का करार कर लिया है जो उन सब के द्वारा या उनमें से ऐसे किन्हीं या किसी के द्वारा जो उन सबकी ओर से कार्य कर रहा है, चलाया जाता है।

वे व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे से भागीदारी कर ली है, व्यक्ति: "भागीदार" और सामूहिक रूप से "फर्म" कहलाते हैं और जिस नाम से उनका कारबार चलाया जाता है, वह "फर्म नाम" कहलाता है।

5. भागीदारी प्रास्थिति से सृष्ट नहीं होती— भागीदारी संबंध में संविदा से उद्भूत होता है, प्रास्थिति से नहीं, और विशेषकर हिंदु अविभक्त कुटुंब के सदस्य, जो उस हैसियत से कौटुम्बिक कारबार चलाते हैं, ऐसे कारबार में भागीदार नहीं है।

6. भागीदार के अस्तित्व के अवधारण का ढंग— यह अवधारण करने में कि व्यक्तियों का कोई समूह फर्म है या नहीं अथवा कोई व्यक्ति किसी फर्म में भागीदार है या नहीं, पक्ष कारों के बीच के उस वास्तविक संबंध का ध्यान रखा जाएगा जो सब सुसंगत तथ्यों को एक साथ लेने से दर्शित होता हो।

स्पष्टीकरण 1— संपत्ति से उद्भूत लाभों या कुल प्रत्यागमों का उस संपत्ति में संयुक्त या सामान्य हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा अंश पाना स्वयंमेव ऐसे व्यक्तियों को भागीदार नहीं बना देता .,

स्पष्टीकरण 2— किसी व्यक्ति द्वारा किसी कारबार के लाभों में से किसी अंश की या किसी कारबार में लाभ उपार्जित होने पर समाश्रित, या उपार्जित हुए लाभों के अनुसार घटने बढने वाले किसी संदाय की प्राप्ति स्वयंमेव उसे उस कारबार को चलाने वालों का भागीदार नहीं बना देती .,

और विशिष्टतया—

(क) ऐसे व्यक्तियों को धन उधार देने वाले द्वारा जो किसी कारबार में लगे हुए या लगने ही वाले हों,

(ख) किसी सेवक या अभिकर्ता द्वारा पारिश्रमिक के रूप में,

(ग) किसी मृत भागीदार की विधवा या अपत्य द्वारा वार्षिकी के रूप में, अथवा

(घ) कारबार के किसी पुर्वतन स्वामी भागित स्वामी द्वारा उस कारबार के गुडविल या अंश के विक्रय के प्रतिफलस्वरूप,

ऐसे अंश या संदाय की प्राप्ति पाने वाले को उस कारबार को चलाने वाले व्यक्तियों का स्वयंमेव भागीदार नहीं बना देती।

7. **इच्छाधीन भागीदारी**— जहां कि भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा उनकी भागीदारी की अस्तित्वावधि के लिए या उनकी भागीदारी के पर्यवसान के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है, वहां वह भागीदारी "इच्छाधीन भागीदारी" है ।

8. **विशिष्ट भागीदारी** — कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का विशिष्ट प्रोद्यमों अथवा उपक्रमों में भागीदार बन सकेगा ।

अध्याय—3 भागीदारों के एक दूसरे के प्रति सम्बन्ध

9. **भागीदारों के साधारण कर्तव्य** — भागीदार सर्वाधिक सामान्य फायदे के लिए फर्म के कारबार को चलाने, एक दूसरे के प्रति विश्वासपरायण और वफादार रहने, तथा हर भागीदार या उसके विधिक प्रतिनिधि को सच्चा लेखा और फर्म पर प्रभाव डालने वाली सब बातों की पूरी जानकारी देने के लिए आबद्ध है ।

10. **कपट से कारित हानि के लिए क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य**— हर भागीदार उस हर हानि के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति करेगा जो फर्म के कारबार के संचालन में उसके कपट से फर्म को कारित हुई हो ।

11. **भागीदारों के अधिकारों और कर्तव्यों को अवधारण भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा होगा** — (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन यह है कि फर्म के भागीदारों के पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों का अवधारण भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा किया जा सकेगा और ऐसी संविदा अभिव्यक्त हो सकेगी या व्यवहार चर्या से विवक्षित हो सकेगी ।

ऐसी संविदा में फेरफार सब भागीदारों की सम्मति से किया जा सकेगा और ऐसी सम्मति अभिव्यक्त हो सकेगी या व्यवहार चर्या से विवक्षित हो सकेगी ।

(2) **व्यापार अवरोधी करार**— भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी संविदाएं उपबंध कर सकेगी कि कोई भागीदार, जब तक वह भागीदार रहे, फर्म के कारबार के सिवाय कोई और कारबार नहीं करेगा ।

12. **कारबार का संचालन** —भागीदारों के बीच की संविदा के अध्याधीन यह है कि—

- (क) हर भागीदार को कारबार के संचालन में भाग लेने का अधिकार है,
- (ख) हर भागीदार आबद्ध है कि वह कारबार के संचालन में अपने कर्तव्यों का तत्परता पूर्वक पालन करें,
- (ग) कारबार से संसक्त मामूली बातों के बारे में उद्भूत किसी भी मतभेद का विनिश्चय हो अपनी राय अभिव्यक्त करने का अधिकार होगा,

किन्तु कारबार की प्रकृति में कोई भी तब्दीली सब भागीदारों की संमति के बिना नहीं की जा सकेगी, तथा

(घ) हर भागीदार को फर्म की बहियों में से किसी भी बही तक पहुंच का और उसका निरीक्षण और उसकी नकल करने का अधिकार है ।

13. पारस्परिक अधिकार और दायित्व – भागीदारों के बीच की संविदा के अध्यक्षीन यह है कि –

(क) भागीदार कारबार के संचालन में भाग लेने के लिए पारिश्रमिक पाने का हकदार नहीं है,

(ख) भागीदार उपाजित लाभ में समानतः अंश पाने के हकदार है और फर्म को हुई हानियों में समानतः अभिदाय करेंगे,

(ग) जहां कि कोई भागीदार अपनी लगाई हुई पूंजी पर ब्याज पाने का हकदार है, वहां ऐसा ब्याज केवल लाभों में से ही संदेय होगा,

(घ) कोई भी भागीदार जो ऐसी पूंजी के अतिरिक्त, जिसे लगाने का करार उसने उस कारबार के प्रयोजनों के लिए किया है, कोई संदाय या अधिदाय करता है, उस पर छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पाने का हकदार है,

(ङ) भागीदार द्वारा निम्नलिखित में किए गए संदायों या उपगत दायित्वों की बाबत फर्म उसकी क्षतिपूर्ति करेगी –

(i) उस कारबार का मामूली और उचित संचालन., तथा

(ii) हानि से फर्म की संरक्षा करने के प्रयोजन से आपात में ऐसा कार्य करना जैसा मामूली प्रज्ञा वाले व्यक्ति द्वारा अपने मामले में वैसी ही परिस्थितियों में किया जाता., तथा

(च) भागीदार उस हानि के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति करेगा जो फर्म के कारबार के संचालन में जानबूझकर उसके द्वारा की गई उपेक्षा से फर्म को कारित हुई हो।

14. फर्म की सम्पत्ति– भागीदारों के बीच की संविदा के अध्यक्षीन यह है कि फर्म की संपत्ति के अंतर्गत फर्म के स्टॉक में मूलतः लाई गई या फर्म द्वारा या फर्म के लिए या फर्म के कारबार के प्रयोजनार्थ और अनुक्रम में क्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित सब संपत्ति में के अधिकार और हित आते हैं और इसके अंतर्गत कारबार का गुडविल भी आता है ।

जब तक कि तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हों, फर्म के धन से अर्जित संपत्ति में के अधिकार और हित फर्म के लिए ही अर्जित समझे जाते हैं ।

15. फर्म की सम्पत्ति का उपयोजन – भागीदारों के बीच की संविदा के अध्यक्षीन यह है कि फर्म की संपत्ति भागीदारों द्वारा अनन्यतः कारबार के प्रयोजनों के लिए धारित और उपयोजित की जाएगी ।

16. भागीदारों द्वारा उपाजित वैयक्तिक लाभ – भागीदारों के बीच की संविदा के अध्यक्षीन यह है कि—

- (क) यदि कोई भागीदार फर्म के किसी संव्यवहार से या फर्म की संपत्ति या कारबारी संबंध या फर्म नाम के उपयोग से अपने लिए कोई लाभ व्युत्पन्न करता है तो वह उस लाभ का लेखा-जोखा फर्म को देगा और उस लाभ का संदाय फर्म का करेगा.,
- (ख) यदि कोई भागीदार फर्म के बराबर की ही प्रकृति का और प्रतियोगी कोई कारबार चलाता है, तो वह उस कारबार में अपने को हुए सब लाभों का लेखा-जोखा फर्म को देगा और सब लाभों का फर्म का संदाय करेगा ।

17. भागीदारों के अधिकार और कर्तव्य – फर्म में तब्दीली होने के पश्चात्—

- (क) जहां कि फर्म के गठन में कोई तब्दीली घटित होती है, वहां पुर्नगठित फर्म में भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य यावत्शक्त वैसे ही बने रहते हैं जैसे वचे उस तब्दीली के अव्यवहित पूर्व थे.,
- (ख) फर्म की अवधि के अवसान के पश्चात् और जहां कि नियत अवधि के लिए गठित फर्म उस अवधि के अवसान के पश्चात् कारबार चलाती रहती है, वहां भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य जहां तक वे इच्छाधीन भागीदारी की प्रसंगतियों से संगत हों वैसे ही बने रहते हैं जैसे वे अवसान के पूर्व थे, तथा
- (ग) जहां कि अतिरिक्त उपक्रम किए गए हों, जहां कि एक या एक से अधिक प्रोद्यम चलाने के लिए गठित फर्म अन्य प्रोद्यम या उपक्रम चलाती है, वहां उन अन्य प्रोद्यमों या उपक्रमों के बारे में भागीदारों के वे ही पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य होते हैं, जो मूल प्रोद्यमों या उपक्रमों के बारे में हों ।

अध्याय- 4 पर-व्यक्तियों से भागीदारों के सम्बन्ध

18. भागीदार फर्म का अधिकर्ता है – इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यक्षीन यह है कि भागीदार फर्म के कारबार के प्रयोजनों के लिए फर्म का अभिकर्ता होता है ।

19. भागीदार का फर्म के अभिकर्ता के नाते विवक्षित प्राधिकार— (1) धारा 22 के उपबन्धों के अध्यक्षीन यह है कि भागीदार का ऐसा कार्य, जो उस किस्म के कारबार को, जैसा फर्म चलाती है, प्रायिक रीति में चलाने के लिए किया गया है, फर्म को आबद्ध करता है ।

फर्म को आबद्ध करने का भागीदार का प्राधिकार जो इस धारा द्वारा प्रदत्त है, उसका "विवक्षित प्राधिकारी" कहलाता है ।

(2) व्यापार को किसी तत्प्रतिकूल प्रथा या रूढि के अभाव में, भागीदार का विवक्षित प्राधिकार उसे सशक्त नहीं करता है कि वह—

- (क) फर्म के कारबार से सम्बन्धित विवाद को माध्यस्थम् के लिए निवेदित करें,
- (ख) फर्म की ओर से बैंक में स्वयं अपने नाम में खाता खोलें ,
- (ग) फर्म द्वारा किए गए किसी दावे या दावे के किसी भाग का समझौता करे या उसे त्याग दें,
- (घ) फर्म की ओर से फाइल किए गए किसी वाद या कार्यवाही का प्रत्याहरण करे,
- (ङ.) फर्म के विरुद्ध किसी वाद या कार्यवाही में कोई दायित्व स्वीकृत करें,
- (च) फर्म की ओर से स्थावर सम्पत्ति अर्जित करें,
- (छ) फर्म की स्थावर सम्पत्ति अन्तरित करें, अथवा
- (ज) फर्म की ओर से भागीदारी में सम्मिलित हो ।

20. भागीदार के विवक्षित प्राधिकार का विस्तारण और निर्बन्धन – फर्म के भागीदार भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा किसी भी भागीदार के विवक्षित प्राधिकार का विस्तारण या निर्बन्धन कर सकेंगे ।

ऐसे किसी निर्बन्धन के होते हुए भी, भागीदार द्वारा फर्म की ओर से किया गया कोई भी कार्य, जो उसके विवक्षित प्राधिकार में आता है, फर्म को आबद्ध करता है, जब तक कि वह व्यक्ति जिसके साथ वह भागीदार व्यौहार कर रहा है उस निर्बन्धन को जानता न हो या यह ज्ञान या विश्वास रखता हो कि वह भागीदार भागीदार नहीं है ।

21. भागीदार का आपात में प्राधिकार – भागीदार का आपात में यह प्राधिकार है कि वह हानि से फर्म की संरक्षा करने के प्रयोजन से ऐसे सब कार्य करें जैसे मामूली प्रज्ञा वाले व्यक्ति द्वारा अपने निजी मामले में वैसी ही परिस्थितियों में कार्य करते हुए किए जाते और ऐसे कार्य फर्म को आबद्ध करते हैं ।

22. फर्म को आबद्ध करने के लिए कार्य करने का ढंग— इसलिये कि वह फर्म को आबद्ध करें, फर्म की ओर से भागीदार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया या निष्पादित लिखत फर्म नाम में या किसी ऐसे अन्य प्रकार से, जिससे फर्म को आबद्ध करने का आशय अभिव्यक्त या विवक्षित होता हो, किया जाएगा या निष्पादित की जाएगी ।

23. भागीदार द्वारा स्वीकृतियों का प्रभाव— भागीदार द्वारा फर्म के मामलों से सम्पृक्त स्वीकृति या व्यपदेशन फर्म के विरुद्ध साक्ष्य है, यदि वह कारबार के मामूली अनुक्रम में किया गया हो ।

24. कार्यकारी भागीदार को दी गई सूचना का प्रभाव— जो भागीदार फर्म के कारबार में अभ्यासतः कार्य करता रहता है, उसे फर्म के मामलों से सम्बन्धित किसी बात की सूचना फर्म को दी गई सूचना का प्रभाव रखती है सिवाय उस दशा के जब कि उस भागीदार या उसकी सम्मति से फर्म से कपट किया गया हो ।

25. फर्म के कार्यों के लिए भागीदार का दायित्व— हर भागीदार, फर्म के ऐसे सब कार्यों के लिए जो उसके भागीदार रहते हुए किए जाते हैं, अन्य सब भागीदारों के साथ संयुक्ततः दायी है और पृथक् भी ।

26. भागीदार के सदोष कार्यों के लिए फर्म का दायित्व— जहां कि किसी फर्म के कारबार के मामूली अनुक्रम में या अपने भागीदारों के प्राधिकार से कार्य करते हुए भागीदार के सदोष कार्य या लोप से किसी पर— व्यक्ति को हानि या क्षति कारित होती है या कोई शास्ति उपगत होती है, या फर्म उसके लिए उसी विस्तार तक दायी है जहां तक कि वह भागीदार है ।

27. भागीदारों द्वारा दुरुपयोग के लिए फर्म का दायित्व, जहां कि—

(क) भागीदार अपने दृश्यमान प्राधिकार के अन्दर कार्य करते हुए किसी पर—व्यक्ति से धन या सम्पत्ति प्राप्त करता है और उसका दुरुपयोजन करता है , अथवा

(ख) फर्म अपने कारबार के अनुक्रम में किसी पर—व्यक्ति से धन या सम्पत्ति प्राप्त करती है और भागीदारों में से कोई उस धन या सम्पत्ति का, जब वह फर्म की अभिरक्षा में है, दुरुपयोजन करता है,

वहां फर्म हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है ।

28. व्यपदेशन— (1) जो कोई मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा आचरण द्वारा यह व्यपदेशन करता है या जानकार यह व्यपदेशन किया जाने देता है कि वह किसी फर्म में भागीदार है, वह उस फर्म के भागीदार के नाते ऐसे किसी भी व्यक्ति के प्रतिदायी है जिसने ऐसे किसी व्यपदेशन के भरोसे उस फर्म को प्रत्यय दिया है, चाहे वह व्यक्ति जिसने अपने भागीदार होने का व्यपदेशन किया है या जिसके भागीदार होने का व्यपदेशन किया गया है यह ज्ञान रखता हो या नहीं कि वह व्यपदेशन ऐसे प्रत्यय देने वाले व्यक्ति तक पहुंचा है ।

(2) जहां कि किसी भागीदार की मृत्यु के पश्चात वही कारबार पुराने फर्म नाम से चालू रखता जाता है, वहां उस नाम का या मृतक भागीदार के नाम का उस कारबार के भागस्वरूप उपयोग किए जाते रहना स्वयंमेव उस मृतक भागीदार के विधिक प्रतिनिधि या उसकी सम्पदा को फर्म के ऐसे कार्य के लिए, जो उसकी मृत्यु के पश्चात किया गया हो, दायी नहीं बना देगा ।

29. भागीदार के हित के अन्तरिती अधिकार – (1) किसी भागीदार द्वारा फर्म में अपने हित का आत्यन्तिक रूप से या बन्धक द्वारा, या ऐसे हित पर अपने द्वारा किसी भार के सृजन द्वारा किया गया अन्तरण अन्तरिती को फर्म के चालू रहने तक यह हक नहीं देता कि वह फर्म के कारबार के संचालन में हस्तक्षेप करें, या फर्म की बहियों का निरीक्षण करें, किन्तु वह अन्तरिती को केवल यह हक देता है कि वह अन्तरक भागीदार के लाभों का अंश प्राप्त करें तथा भागीदारों द्वारा माना गया लाभों का लेखा अन्तरिती प्रतिगृहीत करेगा ।

(2) यदि फर्म विघटित कर दी जाती है या अन्तरक भागीदार भागीदार नहीं रह जाता है तो अन्तरिती शेष भागीदारों के मुकाबले फर्म की आस्तियों में वे अंश जिसका अन्तरक भागीदार हकदार है, पाने का और इस प्रयोजन से कि उस अंश को अभिनिश्चित किया जाये, फर्म के विघटित होने की तारीख से लेखा लेने का हकदार है ।

30. अप्राप्तवयों को भागीदारी के फायदों में सम्मिलित करना— (1) वह व्यक्ति, जो उस विधि के अनुसार, जिसके वह अध्यक्षीन है, अप्राप्तवय है, फर्म में भागीदार नहीं हो सकेगा, किन्तु सब तत्समय भागीदारों की सम्मति से उस भागीदारी के फायदों सम्मिलित में किया जा सकेगा ।

(2) ऐसे अप्राप्तवय का अधिकार है कि वह फर्म की सम्पत्ति और लाभों का ऐसा अंश पाए जैसे कि करार किया गया हो और फर्म के लेखाओं में किसी भी लेखे तक उसकी पहुंच हो सकेगी और वह उनमें से किसी का भी निरीक्षण और नकल कर सकेगा ।

(3) ऐसे अप्राप्तवय का अंश फर्म के कार्यों के लिए दायी है किन्तु वह अप्राप्तवय ऐसे किसी कार्य के लिए वैयक्तिक रूप से दायी नहीं है ।

(4) ऐसा अप्राप्तवय फर्म की सम्पत्ति या लाभों में के अपने अंश के लेखे के लिए या संदाय के लिए भागीदारों पर वाद नहीं ला सकेगा सिवाय जबकि वह फर्म से अपना सम्बन्ध विच्छेद करता हो और ऐसी दशा में उसके अंश की रकम का अवधारण ऐसे मूल्यांकन द्वारा किया जाएगा जो यावत्सम्भव धारा 48 में अन्तर्विष्ट नियमों के अनुसार किया गया हो :

परन्तु ऐसे वाद में फर्म के विघटन का निर्वाचन, सब भागीदार एक साथ कार्य करते हुए, या फर्म का विघटन करने का हकदार कोई भी भागीदार, दूसरे भागीदारों को सूचना देकर कर सकेगा और तदुपरि न्यायालय उस वाद में ऐसे कार्यवाही करेगा मानों वह वाद विघटन के लिए और भागीदारों के बीच लेखा

परिनिर्धारण के लिए हो और अप्राप्तवय के अंश की रकम को भागीदारों के अंशों के साथ साथ अवधारित किया जाएगा।

(5) उसके प्राप्तवय हो जाने की तारीख और उसे यह ज्ञान की वह भागीदारी के फायदों में सम्मिलित कर लिया गया है अभिप्राप्त हो जाने की तारीख में से जो भी पश्चात् की तारीख हो उसके छह मास के अन्दर किसी भी समय ऐसा व्यक्ति यह लोक सूचना दे सकेगा कि उसने फर्म में भागीदार होने का निर्वाचन या न होने का निर्वाचन कर लिया है और ऐसी सूचना उसकी फर्म विषयक स्थिति का अवधारण करेगी:

परन्तु यदि वह ऐसी सूचना देने में असफल रहता है तो उस उक्त छह मास के अवसान होते ही फर्म में भागीदार हो जाएगा।

(6) जहां कि कोई व्यक्ति एक अप्राप्तवय के तौर पर फर्म की भागीदारी के फायदों में सम्मिलित कर लिया गया है, वहां इस तथ्य को उस व्यक्ति को ऐसे सम्मिलित किए जाने का ज्ञान उसके प्राप्तवय हो जाने से छह मास के अवसान के पश्चात किसी विशिष्ट तारीख तक नहीं था, साबित करने का भार उस तथ्य का प्राख्यायन करने वाले व्यक्तियों पर होगा।

(7) जहां कि ऐसा व्यक्ति भागीदार हो जाता है, वहां—

(क) अप्राप्तवय के नाते उसके अधिकार और दायित्व उस तारीख तक बने रहते हैं, जिस तारीख को वह भागीदार होता है किन्तु वह उन सब फर्म के कार्यों के लिए, जो भागीदारी के फायदों में उसके सम्मिलित किए जाने के समय से किए गए हैं, पर—व्यक्तियों के प्रति वैयक्तिक रूप से दायी भी हो जाता है, तथा

(ख) फर्म की सम्पत्ति और लाभों में उसका अंश वह अंश होगा जिसका वह अप्राप्तवय के तौर पर हकदार था।

(8) जहां कि ऐसा व्यक्ति भागीदार न होने का निर्वाचन करता है, वहां —

(क) उसके अधिकार और दायित्व उसके द्वारा लोग सूचना दिये जाने की तारीख तक वे ही बने रहेंगे जो अप्राप्तवय के इस धारा अधीन है.,

(ख) उसका अंश सूचना कि तारीख के पश्चात् किए गए फर्म के किन्ही भी कार्यों के लिए दायी नहीं होगा., तथा

(ग) सम्पत्ति और लाभों में के अपने अंश के लिए वह भागीदारों पर उपधारा (4) के अनुसार वाद लाने का हकदार होगा।

(9) उपधाराओं (7) और (8) की गई भी बात धारा 28 के उपबन्धों पर प्रभाव न डालेगी।

अध्याय- 5 अन्दर आने वाले और बाहर जाने वाले भागीदार

31. भागीदार का प्रविष्ट किया जाना- (1) भागीदारों के बीच की संविदा और धारा 30 के उपबन्धों के अध्याधीन यह है कि कोई भी व्यक्ति सब वर्तमान भागीदारों की सम्मति के बिना फर्म में भागीदार के तौर पर प्रविष्ट नहीं किया जाएगा ।

(2) धारा 30 के उपबन्धों के अध्याधीन यह है कि जो व्यक्ति फर्म में भागीदार के तौर पर प्रविष्ट किया गया है तद्द्वारा वह उसके भागीदार होने से पूर्व किए गए किसी भी फर्म के कार्य के लिए दायी नहीं हो जाता ।

32. भागीदार का निवृत्त होना- (1) भागीदार-

(क) अन्य सब भागीदारों की सम्मति से,

(ख) भागीदारों के अभिव्यक्त करार के अनुसार, या

(ग) जहां कि भागीदारी इच्छाधीन है, वहा अन्य सब भागीदारों को अपने निवृत्त होने के आशय की लिखित सूचना द्वारा, निवृत्त हो सकेगा ।

(2) निवृत्त होने वाला भागीदार अपने निवर्तन से पहले किए गए फर्म के कार्यों के लिए किसी पर व्यक्ति के प्रति किसी दायित्व से ऐसे करार द्वारा, जो ऐसे पर व्यक्ति और पुनर्गठित फर्म के बीच की व्यवहार चर्या से विवक्षित हो सकेगा ।

(3) फर्म से किसी भागीदार के निवृत्त होने पर भी, जब तक कि निवृत्त होने की लोक सूचना न दे दी गई हो, वह और भागीदार उनमें से किसी के द्वारा भी किए गए ऐसे कार्य के लिए, जो उस निवर्तन के पहले किए जाने पर फर्म का कार्य होता, पर व्यक्तियों के प्रति भागीदारों के तौर पर दायी बने रहते हैं :

परन्तु निवृत्त भागीदार किसी ऐसे पर व्यक्ति के प्रति दायी नहीं होगा जो फर्म के साथ यह न जानते हुए व्यवहार करता है कि वह भागीदार था ।

(4) उपधारा (3) के अधीन सूचनाएं निवृत्त होने वाले भागीदार द्वारा या पुनर्गठित फर्म के किसी भी भागीदार द्वारा दी जा सकेगी ।

33. भागीदारी का निष्कासन -(1) भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के सद्भावपूर्वक प्रयोग में के सिवाय भागीदार फर्म में से भागीदारों की किसी भी बहुसंख्या द्वारा निष्कासित नहीं किया जा सकेगा ।

(2) धारा 32 की उपधाराओं (2), (3) और (4) के उपबन्ध निष्कासित भागीदार को उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह निवृत्त भागीदार हो ।

34. भागीदार का दिवाला – (1) जहां कि फर्म का कोई भागीदार दिवालियां न्याय निर्णित कर दिया जाता है, वहां उस तारीख से जिसको न्यायनिर्णयन का आदेश हुआ हो भागीदार नहीं रहेगा चाहे तद्द्वारा फर्म विघटित हो या न हो ।

(2) जहां कि किसी भागीदार के दिवालिया न्यायनिर्णित किए जाने पर फर्म भागीदारों के बीच की संविदा के अधीन विघटित नहीं होती, वहां ऐसे न्यायनिर्णित भागीदार की सम्पदा फर्म के किसी ऐसे कार्य के लिए, और फर्म उस दिवालिया के किसी ऐसे कार्य के लिए दायी नहीं है जो उस तारीख के पश्चात किया गया हो जिस तारीख को न्यायनिर्णयन का आदेश दिया गया है ।

35. मृत भागीदार की सम्पदा का दायित्व – जहां कि किसी भागीदार कि मृत्यु द्वारा भागीदारों के बीच की संविदा के अधीन फर्म विघटित नहीं होती, वहां मृत भागीदार की सम्पदा फर्म के किसी ऐसे कार्य के लिए उसकी मृत्यु के पश्चात किया गया हो, दायी नहीं है ।

36. बाहर जाने वाले भागीदार को प्रतियोगी कारबार चलाने का अधिकार –

(1) बाहर जाने वाले भागीदार फर्म के कारबार का प्रतियोगी कारबार चला सकेगा, और वह ऐसे कारबार का विज्ञापन कर सकेगा, किन्तु तत्प्रतिकूल संविदा के अधीन वह—

(क) फर्म के नाम का उपयोग न कर सकेगा,

(ख) अपने को फर्म का कारबार चलाने वाला व्यपदिष्ट न कर सकेगा, अथवा

(ग) उन व्यक्तियों से जो उसकी भागीदारी का अन्त हो जाने के पूर्व फर्म से व्यौहार करते थे अपने साथ व्यौहार करने की याचना करेगा ।

(2) **व्यापार अवरोधी करार—** कोई भागीदार अपने भागीदार के साथ यह करार कर सकेगा कि भागीदार न रहने पर वह किसी विनिर्दिष्ट कालावधि तक या विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर फर्म के कारबार के सदृश्य कोई कारबार नहीं चलाएगा और यदि अधिरोपित निर्बन्धन युक्तियुक्त हों, तो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27 में किसी बात के होते हुए भी ऐसा करार विधिमान्य होगा ।

37. कुछ दशाओं में बाहर जाने वाले भागीदार का पश्चातवर्ती लाभों में अंश पाने का अधिकार – जहां कि फर्म का कोई सदस्य मर गया हो, या अन्यथा भागीदार न रह गया हो और उत्तरजीवी या बने रहे भागीदार अपने और बाहर जाने वाले भागीदार या उसकी सम्पदा के बीच लेखाओं का अन्तिम परिनिर्धारण किए बिना फर्म की सम्पत्ति से कारबार चलाते रहें, वहां बाहर जाने वाला भागीदार या उसकी सम्पदा, तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव के उक्त भागीदार या उसके प्रतिनिधियों के विकल्प पर या तो उन लाभों का, जो उसके भागीदार न

रह जाने के पश्चात हुए हो ऐसा अंश जो फर्म की सम्पत्ति में के उसके अंश के उपयोग के कारण हुआ माना जा सकें या फर्म की सम्पत्ति में के उसके अंश की रकम पर छह प्रतिशत ब्याज पाने की हकदार होगी:

परन्तु जहां कि भागीदारों के बीच की संविदा के द्वारा उत्तरजीवी या बने रहे भागीदारों को मृत या बाहर जाने वाले भागीदार का हित खरीद लेने का विकल्प किया गया हो और उस विकल्प का सम्यक् रूप से प्रयोग किया गया हो वहां, यथास्थिति, मृत भागीदार की सम्पदा अथवा बाहर वाले भागीदार या उसकी सम्पदा को लाभों का कोई अपर या अन्य अंश पाने का हक न होगा किन्तु यदि कोई भागीदार उस विकल्प का प्रयोग करने की धारण्या से कार्य करते हुए सब तात्त्विक पहलुओं में उसके निबन्धनों का अनुवर्तन न करें, तो वह इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन लेखा देने का दायी होगा ।

38. चलत प्रत्याभूति का फर्म में तब्दीली होने से प्रतिसंहरण – फर्म को या फर्म के संव्यवहारों के बारे में पर व्यक्ति को दी गई चलत प्रत्याभूति तत्प्रतिकूल करार के अभाव में, उस तारीख से जिससे फर्म के गठन में कोई तब्दीली हुई हो, फर्म के भावों संव्यवहारों के बारे में प्रतिसहृत हो जाती है ।

अध्याय- 6 फर्म का विघटन

39. फर्म का विघटन – फर्म के सब भागीदारों के बीच भागीदारी का विघटन “फर्म का विघटन” कहलाता है ।

40. करारद्वारा विघटन – फर्म सब भागीदारों की सहमति से या भागीदारों के बीच की संविदा के अनुसार विघटित की जा सकेगी ।

41. वैवश्यक विघटन – फर्म विघटित हो जाती है –

(क) सब भागीदारों के या एक के सिवाय अन्य सब भागीदारों के दिवालिया न्यायनिर्णीत हो जाने से, अथवा

(ख) किसी ऐसी घटना के घटित होने से, जिससे फर्म का कारबार चलना या भागीदारों का उसे भागीदारी में चलाना विधि विरुद्ध जो जाए:

परन्तु जहां कि फर्म द्वारा एक से अधिक पृथक प्रोद्यम या उपक्रम चलाए जा रहे हो, वहां किसी एक या अधिक की अवैधता मात्र फर्म के विधिपूर्ण प्रोद्यमों और उपक्रमों के बारे में फर्म का विघटन कारित नहीं करेगी ।

42. किन्हीं आकस्मिकताओं के घटित होने पर विघटन – भागीदारों के बीच की संविदा के अध्यक्षीन यह है कि फर्म विघटित हो जाती है—

- (क) यदि वह किसी नियमित अवधि के लिए गठित की गई, हो तो उस अवधि के अवसान से,
- (ख) यदि वह एक या अधिक प्रोद्यमों या उपक्रमों को चलाने के लिए गठित की गई हो तो उसके या उसके पूर्ण हो जाने से,
- (ग) किसी भागीदार की मृत्यु हो जाने से, और
- (घ) किसी भागीदार के दिवालिया न्यायनिर्णीत किए जाने से ।

43. इच्छाधीन भागीदार का सूचना द्वारा विघटन —(1) जहां कि भागीदारी इच्छाधीन है, वहा किसी भागीदार द्वारा फर्म का विघटन अन्य सब भागीदारों को फर्म विघटित करने के अपने आशय की लिखित सूचना दिए जाने द्वारा किया जा सकेगा ।

(2) फर्म उस तारीख से, जो उस सूचना में विघटन की तारीख दी हुई है यदि कोई तारीख नहीं दी हुई है, तो उस तारीख से, जिसको सूचना संसूचित की गई है, विघटित हो जाती है ।

44. न्यायालय द्वारा विघटन — किसी भागीदार के वाद पर न्यायालय निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर फर्म को विघटित कर सकेगा, अर्थात्

- (क) यह कि कोई भागीदार विकृतचित हो गया है, जिस दशा में उस व्यक्ति के, जो विकृतचित हो गया है, वाद मित्र द्वारा वाद वैसे ही लाया जा सकेगा जैसे किसी दूसरे भागीदार द्वारा.,
- (ख) यह कि कोई भागीदार, जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो, भागीदार के तौर पर अपने कर्तव्यों का पालन करने में किसी प्रकार स्थानी रूप से असमर्थ हो गया है.,
- (ग) यह कि कोई भागीदार, जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो, ऐसे आचारण का दोषी है जिससे कारबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उस कारबार के चलाने पर प्रतिकूल प्रभाव पडना सम्भाव्य है.,
- (घ) यह कि कोई भागीदार, जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो, ऐसे करारों का भंग जानबूझकर या बार बार करता है जो फर्म के कामकाज के प्रबन्ध या फर्म के कारबार के संचालन से संबंधित हों या अन्यथा उस कारबार से सम्बन्धित बातों में अपना ऐसा आचरण रखता है कि उसके साथ भागीदारी में वह कारबार करना दूसरे भागीदारों के लिए युक्ति युक्ततः साध्य नहीं है .,
- (ङ.) यह कि किसी भागीदार ने, जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो, फर्म में का अपना संपूर्णहित किसी पर—व्यक्ति को किसी प्रकार से अन्तरित कर दिया है, या अपने अंश को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 21 के नियम 49 के अधीन भारित हो जाने दिया है अथवा अपने द्वारा शोध्य भूराजस्व

की बकाया की या भूराजस्व की बकाया के रूप में वसूली किन्हीं शोध्यों की वसूलीय में बिक जाने दिया है.,

- (च) यह कि फर्म का कारबार हानि उठाए बिना नहीं चलाया जा सकता,अथवा
- (छ) किसी अन्य ऐसे आधार पर, जिसने इस बात को न्यायसंगत और साम्यपूर्ण बना दिया हो कि फर्म विघटित कर दी जाए ।

45. विघटन के पश्चात् किये गये भागीदारों के कार्यों के लिए दायित्व— (1) फर्म का विघटन हो जाने पर भी, जब तक विघटन की लोक सूचना न दे दी जाए, भागीदार उनमें से किसी के द्वारा किए गए किसी ऐसे कार्य के लिए, जो विघटन से पहले किया जाने पर फर्म का कार्य होता पर—व्यक्तियों के प्रति भागीदार के नाते दायी बने रहेंगे:

परन्तु जो भागीदार मर जाता है या दिवालिया न्यायर्णित कर दिया जाता है, या जो भागीदार, उसका भागीदार होना फर्म के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति को ज्ञान न होते हुए, फर्म से निवृत्त हो जाता है, उसकी सम्पदा उसके भागीदार न रहने की तारीख के पश्चात् किए गए कार्यों के लिए इस धारा के अधीन दायी न होगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सूचनाएं किसी भी भागीदार द्वारा दी जा सकेगी ।

46. विघटन के पश्चात् कारबार का परिसमापन कराने का भागीदारों का अधिकार — फर्म के विघटन पर हर भागीदार या उसके प्रतिनिधि को अन्य सब भागीदारों या उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध यह हक है कि वह फर्म की सम्पत्ति को फर्म के ऋणों और दायित्वों के संदाय में उपयोजित कराए और अधिशेष भागीदारों या उनके प्रतिनिधियों में उनके अधिकारों के अनुसार वितरित कराए ।

47. परिसमापन के प्रयोजनों के लिए भागीदारों का सतत प्राधिकार — हर एक भागीदार का फर्म को आबध्द करने का प्राधिकार और भागीदार के अन्य पारस्परिक अधिकार और बाध्यताएं फर्म का विघटन हो जाने पर भी फर्म के विघटन के पश्चात वहां तक बने रहते हैं जहां तक कि वे फर्म के कामकाज के परिसमापन के लिए और आरम्भ किए गए किन्तु विघटन के समय अधूरे रह गए संव्यवहारों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों, किन्तु अन्यथा नहीं:

परन्तु फर्म किसी ऐसे भागीदार के कार्यों द्वारा, जो दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है, किसी दशा में भी आबध्द नहीं है किन्तु यह परन्तुक किसी ऐसे व्यक्ति के दायित्व पर प्रभाव नहीं डालता जिसने उस न्यायनिर्णयन के पश्चात् अपने को इस दिवालिया का भागीदार होना व्यपदिष्ट किया है या जानते हुए व्यपदिष्ट किया जाने दिया है ।

48. भागीदारों के बीच लेख परिनिर्धारण का ढंग – विघटन के पश्चात् फर्म के लेखा परिनिर्धारण में भागीदारों द्वारा किए गए करार के अध्यक्षीन, निम्नलिखित नियमों का अनुपालन किया जाएगा –

- (क) हानियां जिनके अन्तर्गत पूंजी की कमियां भी आती हैं, प्रथमतः लाभों में से, तत्पश्चात् पूंजी में से और अन्त में, यदि आवश्यक हों, भागीदारों द्वारा व्यष्टितः उसी अनुपात में संदत्त की जाएगी जिनमें वे लाभों का अंश पाने के लिए हकदार थे,
- (ख) फर्म की आस्तियां जिनके अन्तर्गत पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए भागीदारों द्वारा अभिदत्त की गई रकम भी आती है, निम्नलिखित प्रकार और क्रम से उपयोजित की जायेगी, –
- (i) फर्म पर—व्यक्तियों के ऋणों का संदाय करने में,
 - (ii) हर एक भागीदार को फर्म द्वारा उसे शोध्य उन अधिदायों का जो पूंजी से सुभिन्न हों, अनुपाती संदाय करने में,
 - (iii) हर एक भागीदार को पूंजी लेखे जो कुछ शोध्य हो उसका अनुपाती संदाय करने में, तथा
 - (iv) अवशिष्ट, यदि कुछ रहे, तो वह भागीदारों में उस अनुपात में, जिसमें वे लाभों का अंश पाने के हकदार थे, बांट दिया जाएगा।

49. फर्म के ऋणों और पृथक ऋणों का संदाय – जहां कि फर्म द्वारा शोध्य संयुक्त ऋण है और किसी भागीदार द्वारा शोध्य पृथक ऋण भी है, वहां फर्म की सम्पत्ति का उपयोजन प्रथमतः फर्म के ऋणों के संदाय में किया जाएगा और यदि कुछ अधिशेष रहे तो उसमें का हर एक भागीदार का अंश उसके पृथक ऋणों के संदाय में उपयोजित किया जाएगा या उसको दे दिया जाएगा। किसी भी भागीदार की पृथक सम्पत्ति का उपयोजन पहले उसके पृथक ऋणों के संदाय में और, यदि कुछ अधिशेष रहे, तो फर्म के ऋणों के संदाय में किया जाएगा।

50. विघटन के पश्चात् उपार्जित वैयक्तिक लाभ— भागीदारों के बीच की संविदा के अध्यक्षीन यह है कि धारा 16 के खंड (क) के उपबन्ध उन संव्यवहारों को लागू होने जिनका उपक्रम किसी भागीदार की मृत्यु के कारण फर्म का विघटन हो जाने के पश्चात् और उसके सब कामकाज का पूर्ण रूप से परिसमापन होने के पूर्व, किसी उत्तरजीवी भागीदार द्वारा या किसी मृत भागीदार के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया हो:

परन्तु जहां कि किसी भागीदार या उसके प्रतिनिधि ने फर्म का गुडविल खरीद लिया है, वहां इस धारा की कोई भी बात फर्म नाम के प्रयोग में लाने के उसके अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

51. समय पूर्व विघटन में प्रीमियम की वापसी— जहां कि किसी भागीदार ने भागीदारी में किसी नियत अवधि के लिए प्रवेश करते समय कोई प्रीमियम दिया है और उस अवधि का अवसान होने के पूर्व ही वह फर्म किसी भागीदार की मृत्यु के सिवाय किसी अन्य कारण से, विघटित हो जाती है, वहां वह भागीदार उस प्रीमियम के या उसके ऐसे भाग का प्रतिसंदाय पाने का हकदार होगा जो उन निबन्धनों को, जिन पर वह भागीदार बना था, और उस समय की लम्बाई को, जिसके दौरान वह भागीदार रहा, ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त हो, जब तक कि—

- (क) विघटन मुख्यतया उसके अपने अवचार के कारण न हुआ, हो, अथवा
- (ख) विघटन ऐसे करार के अनुसरण में न हुआ हो जिसमें उस प्रीमियम या उसके किसी भाग के वापस करने के विषय में कोई उपबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं है ।

52. अधिकार, जहां कि भागीदारों की संविदा, कपट या दुर्व्यपदेशन के कारण विखंडित कर दी गई है— जहां कि भागीदार सृष्ट करने वाली संविदा उसके पक्षकरों में से किसी के कपट या दुर्व्यपदेशन के आधार पर विखंडित कर दी जाती है, वहां विखण्डित करने का हक रखने वाला पक्षकार अन्य किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित का हकदार होगा —

- (क) फर्म के अंश क्रय करने के निमित्त अपने द्वारा दी गई किसी राशि के लिए और अपने द्वारा अभिदत्त किसी पूंजी के लिए फर्म से उस अधिशेष या आस्तियों पर, जो फर्म के ऋणों के संदाय के पश्चात् अवशिष्ट हों, धारणाधिकार का या उनके प्रतिधारण के अधिकार का,
- (ख) फर्म के ऋणों मध्ये अपने द्वारा किए गए किसी संदाय के बारे में फर्म के लेनदारों की पंक्ति में रखे जाने का, तथा
- (ग) फर्म के सब ऋणों की बाबत क्षतिपूर्ति उसी भागीदार या उन भागीदारों से पाने का जो उस कपट या दुर्व्यपदेशन के दोषी हों।

53. फर्म नाम या फर्म की सम्पत्ति को उपयोग में लाने से अवरुद्ध करने का अधिकार— फर्म के विघटित हो जाने के पश्चात्, हर भागीदार या उसका प्रतिनिधि भागीदारों के बीच की किसी तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में, किसी भी अन्य भागीदार को या उसके प्रतिनिधि को, तब तक के लिए फर्म नाम में समरूप कारबार करने से या फर्म की किसी सम्पत्ति को अपने जिनी फायदे के लिए उपयोग में लाने से अवरुद्ध कर सकेगा, जब तक फर्म के कामकाज का पूरी तरह परिसमापन नहीं हो जाता :

परन्तु जहां कि किसी भागीदार या उसके प्रतिनिधि ने फर्म का गुडविल खरीद लिया है, वहां इस धारा की कोई भी बात फर्म नाम को उपयोग में लाने के उसके अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

54. व्यापार अवरोधी करार— फर्म के विघटन पर या विघटन के पूर्वानुमान पर भागीदार यह करार कर सकेंगे कि उनमें से कुछ या वे सब किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के या विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर फर्म के कारबार के सदृश्य कारबार नहीं चलाएंगे और यदि अधिरोपित निर्बंधन युक्तियुक्त हों तो, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27 में किसी बात के होते हुए भी ऐसा करार विधिमान्य होगा ।

55. विघटन के पश्चात् गुडविल का विक्रय— (1) विघटन के पश्चात् फर्म के लेखा परिनिर्धारण में गुडविल, भागीदारों के बीच की संविदा के अध्यक्षीन रहते हुए, आस्तियों में सम्मिलित किया जाएगा और वह या तो पृथक रूप से या फर्म की अन्य सम्पत्ति के साथ-साथ बेचा जा सकेगा ।

(2) **गुडविल के क्रेता और विक्रेता के अधिकार—** जहां कि फर्म का गुडविल विघटन के पश्चात् बेचा जाता है, वहां भागीदार क्रेता के कारबार का प्रतियोगी कारबार चला सकेगा और वह ऐसे कारबार का विज्ञापन कर सकेगा, किन्तु अपने और क्रेता के बीच के करार के अध्यक्षीन वह निम्नलिखित न कर सकेगा—

(क) फर्म नाम का उपयोग में लाना,

(ख) यह व्यापष्टि करना कि वह फर्म का कारबार चला रहा है, अथवा

(ग) जो व्यक्ति फर्म के विघटन से पूर्व फर्म से व्यौहार करते थे उनसे अपने साथ व्यवहार करने की याचना ।

(3) **व्यापार अवरोधी करार—** कोई भी भागीदार फर्म के गुडविल के विक्रय पर क्रेता से यह करार कर सकेगा कि ऐसा भागीदार किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के या स्थानीय सीमाओं के भीतर फर्म के कारबार के सदृश्य कोई कारबार नहीं चलाएगा, और यदि अधिरोपित निर्बंधन युक्तियुक्त हो तो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27 में किसी बात के होते हुए भी ऐसा करार विधिमान्य होगा ।

अध्याय— 7 फर्मों का रजिस्ट्रीकरण

56. इस अध्याय के लागू होने से छूट देने की शक्ति — किसी राज्य की राज्य सरकार शासकीय राजपत्र अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस अध्याय के उपबन्ध उस राज्य को या अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उसके किसी भाग को लागू नहीं होंगे ।

57. रजिस्ट्रारों की नियुक्ति— (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फर्मों के रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी और उन क्षेत्रों को परिभाषित कर सकेगी जिनमें वे अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे ।

(2) हर रजिस्ट्रार भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा ।

58. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन — (1) फर्म का रजिस्ट्रीकरण उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार को, जिसमें उस फर्म के कारबार का कोई स्थान स्थित है या स्थित किया जाना प्रस्थापित है, विहित प्ररूप में और विहित फीस सहित ऐसा कथन जिसमें निम्नलिखित कथित हों, डाक द्वारा भेज कर या परिदत्त करके किसी भी समय कराया जा सकेगा ।

(क) फर्म नाम,

(ख) फर्म के कारबार का स्थान या मुख्य स्थान,

(ग) उन अन्य स्थानों के नाम जिनमें फर्म कारबार चलाती है,

(घ) वह तारीख जिसको हर एक भागीदार फर्म में शामिल हुआ ।

(ङ) भागीदारों के पूरे नाम और स्थायी पते, तथा

(च) फर्म की अस्तित्वावधि ।

यह कथन सब भागीदारों द्वारा या उनके ऐसे अभिकर्ताओं द्वारा जो इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत हों हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(2) कथन को हस्ताक्षरित करने वाला हर एक व्यक्ति विहित प्रकार से उसे सत्यापित भी करेगा ।

(3) फर्म नाम में निम्नलिखित शब्दों में से किसी का भी, अर्थात्—

“काउन”, “एम्पर”, “एम्प्रेस”, “एम्पायर”, “एम्पीरियल”, “किंग”, “क्वीन”, “रायल” या ऐसे शब्दों का जिनसे सरकार की मंजूरी, अनुमोदन या प्रतिश्रय अभिव्यक्त या विविक्षित होता हो, उपयोग न किया जाएगा सिवाय जब कि राज्य सरकार ने फर्म नाम के भाग— स्वरूप ऐसे शब्दों के उपयोग के लिए अपनी सम्मति लिखित आदेश द्वारा दे दी हो ।

59. रजिस्ट्रीकरण— जब कि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाए कि धारा 58 के उपबन्धों का सम्यक् रूप से अनुवर्तन हो गया है, तब वह फर्मों का रजिस्टर नामक रजिस्टर में उस कथन की प्रविष्टि अभिलिखित करेगा और उस कथन को फाइल कर देगा ।

60. फर्म नाम से और कारबार के मुख्य स्थान में हुए परिवर्तनों का अभिलेख—

(1) जब कि किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म के फर्म नाम में या कारबार के मुख्य स्थान की स्थिति में कोई परिवर्तन किया जाए, तब विहित फीस के साथ

रजिस्ट्रार के पास एक ऐसा कथन भेज सकेगा जिसमें उस परिवर्तन का विनिर्देश हो और जो धारा 58 के अधीन अपेक्षित प्रकार से हस्ताक्षरित और सत्यापित हो ।

(2) जबकि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाए कि उपधारा (1) के उपबन्धों का सम्यक् रूप से अनुवर्तन हो गया है तब वह फर्म रजिस्टर में उस फर्म संबंधी प्रविष्टि को उस कथन के अनुसार संशोधित करेगा और धारा 59 के अधीन फाइल किए गए फर्म संबंधी कथन के साथ उसे फाइल कर देगा ।

61. शाखाओं के बंद करने और खोलने का टिप्पणित किया जाना— जबकि कोई रजिस्ट्रीकृत फर्म किसी ऐसे स्थान पर अपना कारबार बन्द या चलाना आरम्भ करें जो उसके कारबार का मुख्य स्थान न हो तब उस फर्म का कोई भी भागीदार या अभिकर्ता उसकी प्रज्ञापना रजिस्ट्रार को भेज सकेगा या जो फर्म रजिस्टर में उस फर्म संबंधी प्रविष्टि में ऐसी प्रज्ञापना का टिप्पण कर लेगा और धारा 59 के अधीन फाइल किए गए फर्म संबंधी कथन के साथ उस प्रज्ञापन को फाइल कर देगा ।

62. भागीदारों के नामों और पतों में तब्दीलियों का टिप्पणित किया जाना—जब कि रजिस्ट्रीकृत फर्म का कोई भागीदार अपने नाम या स्थायी पते में कोई परिवर्तन करे तब फर्म के किसी भी भागीदार या अभिकर्ता द्वारा रजिस्ट्रार को उस परिवर्तन की प्रज्ञापना भेजी जा सकेगी और रजिस्ट्रार उससे उसी प्रकार बरतेगा जैसा कि धारा 61 में उपबन्धित है ।

63. फर्म में तब्दीलियों और उसके विघटन का अभिलेखन—(1) जब कि किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म के गठन में कोई तब्दीली हो तब अन्दर जाने वाला, बना रहने वाला या बाहर जाने वाला कोई भी भागीदार और जबकि किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म का विघटन हो, तब कोई भी व्यक्ति, जो विघटन से अव्यवहित पहले भागीदार रहा हो, या किसी ऐसे भागीदार या व्यक्ति का इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत अभिकर्ता रजिस्ट्रार को ऐसी तब्दीली या विघटन की तारीख का विनिर्देश करते हुए उसकी सूचना देगा और रजिस्ट्रार फर्मों के रजिस्टर में उस फर्म संबंधी प्रविष्टि में उस सूचना का अभिलेखन करेगा और सूचना को धारा 59 के अधीन फाइल किए गए फर्म संबंधी कथन के साथ फाइल कर देगा ।

(2) **अप्राप्तव्य के प्रत्याहरण का अभिलेखन—** जब कि कोई अप्राप्तव्य जो किसी फर्म में भागीदारी के फायदों में सम्मिलित कर लिया गया हो, प्राप्तव्य हो जाए और भागीदार बनने का या न बनने का निर्वाचन कर ले और फर्म उस समय रजिस्ट्रीकृत फर्म हो तब वह या इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत उसका अभिकर्ता रजिस्ट्रार को यह सूचना दे सकेगा कि वह भागीदार बन गया है या नहीं बना है और रजिस्ट्रार उस सूचना से उसी प्रकार बरतेगा जैसा उपधारा (1) में उपबन्धित है ।

64. भूलों का परिशोधन— (1) रजिस्ट्रार को यह शक्ति हर समय होगी कि फर्मों के रजिस्टर में की किसी प्रविष्टि को जो किसी भी फर्म से संबंधित हो इस अध्याय के अधीन फाइल की गई उस फर्म संबंधी दस्तावेजों के अनुरूप बनाने के लिए किसी भी भूल का परिशोधन करें ।

(2) उन सब पक्षकारों के आवेदन पर जिन्होंने इस अध्याय के अधीन फाइल की गई फर्म संबंधी किसी दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया गया है, रजिस्ट्रार ऐसी किसी भी भूल का परिशोधन कर सकेगा जो ऐसी दस्तावेज में या फर्मों के रजिस्टर में किए गए उसके अभिलेख या टिप्पणी में हों ।

65. न्यायालय के आदेश से रजिस्टर का संशोधन— रजिस्ट्रीकृत फर्म से संबंधित किसी भी मामले का विनिश्चय करने वाला न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि रजिस्ट्रार फर्मों के रजिस्टर में ऐसी फर्म से संबंधित प्रविष्टि में ऐसा कोई भी संशोधन करें, जो उसके विनिश्चय के परिणामस्वरूप और तदनुसार उस प्रविष्टि का संशोधन करेगा ।

66. रजिस्टर और फाइल की गई दस्तावेजों का निरीक्षण— (1) फर्मों के रजिस्टर, ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा —

(2) इस अध्याय के अधीन फाइल किए गए सब कथन, सूचनाएं और प्रज्ञापनाएं ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी विहित की जाएं, निरीक्षण के लिए खुली रहेगी ।

67. प्रतियों का दिया जाना — किसी भी व्यक्ति को उसके आवेदन पर रजिस्ट्रार ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की गई हो, फर्म के रजिस्टर में की किसी भी प्रविष्टि या उसके किसी भी भाग की अपने हस्ताक्षर से प्रामाणित प्रति देगा ।

68. साक्ष्य के नियम —(1) फर्मों के रजिस्टर में अभिलिखित या टिप्पणित कोई भी कथन, प्रज्ञापना या सूचना उसमें कथित किसी भी तथ्य का निश्चयक सबूत उस व्यक्ति के विरुद्ध होगी, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसा कथन, प्रज्ञापना या सूचना हस्ताक्षरित की गई थी ।

(2) फर्मों के रजिस्टर में की किसी फर्म से संबंधित किसी भी प्रविष्टि की प्रामाणित प्रति उस फर्म के रजिस्ट्रीकरण के तथ्य के तथा उसमें अभिलिखित या टिप्पणित किसी भी कथन, प्रज्ञापना या सूचना की अर्न्तवस्तु के सबूत में पेश की जा सकेगी ।

69. रजिस्ट्री न कराने का प्रभाव—(1) कोई भी वाद जो किसी संविदा से उद्भूत या इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए लाया जाए किसी फर्म के भागीदार के नाते वाद लाने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा या की ओर से उस फर्म के विरुद्ध या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसका उस फर्म में भागीदार होना या रहा होना अभिकथित हो, किसी भी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह फर्म रजिस्ट्रीकृत न हो और वाद लाने वाला व्यक्ति फर्मों के रजिस्टर में उस फर्म के भागीदार के तौर पर दर्शित न हो या दर्शित न रह चुका हो ।

(2) कोई भी वाद जो किसी संविदा से उद्भूत किसी अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए लाया जाए फर्म द्वारा या की ओर से किसी भी न्यायालय में किसी पर—व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित न किया जाएगा जब तक कि वह फर्म रजिस्ट्रीकृत न हो और वाद लाने वाले व्यक्ति फर्मों के रजिस्टर में फर्म के भागीदारों के तौर पर दर्शित न हों या दर्शित न रह चुके हों ।

(3) उपधाराओं (1) और (2) के उपबन्ध किसी संविदा से उद्भूत किसी अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए लाए जाने वाले मुजराई के दावे या अन्य कार्रवाई को भी लागू होंगे, किन्तु निम्नलिखित पर प्रभाव न डालेंगे —

(क) किसी फर्म के विघटन के लिए या किसी विघटित फर्म का लेखा लेने के लिए बाद लाने के किसी अधिकार के या किसी विघटित फर्म की सम्पत्ति प्राप्त करने के किसी भी अधिकार या शक्ति के प्रवर्तन पर अथवा

(ख) किसी दिवालिया भागीदार की सम्पत्ति को प्राप्त करने की किसी शासकीय समनुदेशिती, रिसीवर या न्यायालय की प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम, 1909 या प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 के अधीन शक्तियों पर

(4) यह धारा निम्नलिखित को लागू न होगी —

(क) ऐसी फर्मों को या फर्मों के भागीदारों को, जिनके कारबार या कोई स्थान उन राज्य क्षेत्रों में नहीं है, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है या जिनके कारबार के स्थान उक्त राज्य क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्रों में स्थित है जिनको धारा 56 के अधीन की गई अधिसूचना के कारण यह अध्याय लागू नहीं है, अथवा

(ख) मूल्य में सौ रूपये से अनधिक के किसी ऐसे वाद या मुजराई के दावे को, जो प्रेसिडेंसी नगरों में प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किस्म का, या प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किस्म का न हो अथवा निष्पादन में किसी भी कार्यवाही या अन्य कार्यवाही को जो ऐसे वाद या दावे से आनुषंगिक या उद्भूत हो ।

70. मिथ्या विशिष्टियां देने के लिए शास्ति— कोई भी व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन किसी ऐसे कथन, संशोधक—कथन, सूचना या प्रज्ञापना को हस्ताक्षरित करेगा, जिसमें कोई ऐसी विशिष्ट अन्तर्विष्ट है, जिसका मिथ्या होना वह जानता है, या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता अथवा जिसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट है जिनका अपूर्ण होना वह जानता है या जिनके पूर्ण होने का वह विश्वास नहीं करता वह करावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

71. नियम बनाने की शक्ति —(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियम बना सकेगी जो वह फीस विहित करेंगे जो फर्म के रजिस्ट्रार को भेजी जाने वाली दस्तावेजों के साथ भेजी जाएगी या उन दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए, जो फर्मों के रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में हो या फर्मों के रजिस्टर में की प्रतियों के लिए संदेय होगी :

परन्तु ऐसी फीसें अनुसूची 1 में विनिदिष्ट अधिकतम फीसों से अधिक न होगी ।

(2) राज्य सरकार ऐसे नियम भी बना सकेगी जो —

(क) धारा 58 के अधीन दिए जाने वाले कथन और उसके सत्यापन का प्ररूप विहित करेंगे,

(ख) यह अपेक्षित करेंगे कि धाराओं 60, 61, 62 और 63 के अधीन कथन, प्रज्ञापनाएं और सूचनाएं विहित प्ररूप में हों और उनका प्ररूप विहित करेंगे,

(ग) फर्मों के रजिस्टर का प्ररूप और वह ढंग जिस ढंग से फर्मों संबंधी प्रविष्टियां उस में की जानी है तथा वह ढंग जिस ढंग से ऐसी प्रविष्टियां संशोधित की जानी है, या उनमें टिप्पण किए जाने हैं, विहित करेंगे,

(घ) विवादों के उद्भूत होने पर रजिस्ट्रार द्वारा अनुवर्तनीय प्रक्रिया विनियमित करेंगे,

(ङ) रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त दस्तावेजों का फाइल किया जाना विनियमित करेंगे,

(च) मूल दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए, शर्तें विहित करेंगे,

(छ) प्रतियों का दिया जाना विनियमित करेंगे,

(ज) रजिस्ट्रारों और दस्तावेजों की छटाई विनियमित करेंगे,

(झ) फर्मों के रजिस्टर की अनुक्रमणिका का रखा जाना और उसका प्ररूप उपबन्धित करेंगे, तथा

(अ) साधारणतया इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए होंगे ।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए सब नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्याधीन होंगे ।

(4) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने पर यथा शीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा ।

अध्याय- 8 अनुपूरक

72. लोक सूचना देने का ढंग- इस अधिनियम के अधीन लोक सूचना -

(क) जहां कि वह किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म से किसी भागीदार की निवृत्ति या निष्कासन से, या किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म के विघटन से या किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म में ऐसे व्यक्ति के, जिसे भागीदार के फायदे में अप्राप्तवय के तौर पर सम्मिलित कर लिया गया था प्राप्तवय होने पर भागीदार बन जाने के या न बनने के निर्वाचन से, सम्बन्धित है, वहां फर्मों के रजिस्ट्रार को धारा 63 के अधीन सूचना देकर और शासकीय राजपत्र में और देशी भाषा के कम से कम एक ऐसे समाचार पत्र में, जिसका परिचालन उसजिले में हो, जिसमें उस फर्म का जिससे वह सूचना सम्बन्धित है, कारबार का स्थान या मुख्य स्थान है, प्रकाशन द्वारा दी जाती है, तथा

(ख) किसी भी अन्य दशा में, शासकीय राजपत्र में और देशी भाषा के कम से कम एक ऐसे समाचार पत्र में जिसका परिचालन उस जिले में हो, जहां फर्म के कारबार का स्थान या मुख्य स्थान है, प्रकाशन द्वारा दी जाती है ।

73. निरसित- निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा निरसित ।

74. व्यावृत्तियां- इस अधिनियम की या एतद्द्वारा किए गए किसी निरसन में की कोई भी बात निम्नलिखित पर प्रभाव न डालेगी और न प्रभाव डालने वाली समझी जाएगी-

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई भी अधिकार हक, हित, बाध्यता या दायित्व, अथवा

(ख) ऐसे किसी भी अधिकार, हक, हित, बाध्यता या दायित्व के बारे में या किसी भी ऐसी बात के बारे में इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व की गई या सहन की गई हो, कोई विधिक कार्यवाही या उपचार, अथवा

(ग) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व की गई या सहन की गई कोई बात, अथवा

(घ) भागीदारी सम्बन्धी कोई भी अधिनियमिति जो इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से निरसित नहीं की गई है, अथवा

- (ड.) भागीदारी से सम्बन्धित दिवाले का कोई भी नियम, अथवा ।
(च) विधि का कोई भी नियम जो इस अधिनियम से असंगत न हो ।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2001

क. एफ.1(1)-62-2000-अ-ग्यारह- भारतीय भागीदारी (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1998 (क्रमांक 34 सन् 1998) अनुसूची 1 की धारा 71 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अनुसूची में दर्शित दर के अधिकतम शुल्क में 5% (प्रतिशत) की वृद्धि करती है.

अतः उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाये, अर्थात् :-

अनुसूची-1

अधिकतम शुल्क

(धारा 71 की उपधारा (1) देखिए)

दस्तावेज या कार्य जिसके
संबंध में शुल्क देय है

(1)

धारा 28 के अधीन कथन

धारा 60 के अधीन कथन

धारा 61 के अधीन प्रज्ञापना

धारा 62 के अधीन प्रज्ञापना

धारा 63 के अधीन सूचना

धारा 64 के अधीन आवेदन

धारा 66 की उपधारा (1) के

अधीन फर्मों के रजिस्टर का

निरीक्षण

अधिकतम शुल्क

(2)

पांच सौ पच्चीस
रूपये

एक सौ पांच रूपये

एक सौ पांच रूपये

तिरेपन रूपये

एक सौ पांच रूपये

तिरेपन रूपये

छब्बीस रूपये

फर्म संबंधी दस्तावेजों का
निरीक्षण धारा 67 के अधीन
फर्मों के रजिस्टर में से प्रतियां.

ग्यारह रूपये
(प्रत्येक सौ शब्द या
उसके भाग के
लिये):

परन्तु राज्य सरकार प्रत्येक दो वर्ष में उपरोक्त दर के अधिकतम पांच प्रतिशत के अध्यक्षीन रहते हुए दर में वृद्धि कर सकेगी.

टिप्पणी— ऐसे मामलों में जहां आवेदक धारा 67 के अधीन फर्मों के रजिस्टर में प्रतियों की शीघ्र अर्थात् पांच कार्य दिवसों के भीतर अपेक्षा करता है, वहां फीस की दुगुनी रकम के सात पृथक आवेदन फाइल करेगा और सक्षम प्राधिकारी, पांच कार्य दिवसों के भीतर प्रतियां देगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

ए.के.जैन, अपर सचिव.

फर्म रजिस्ट्रेशन नियम का परिचय

- 1— साझेदारी फर्म का निर्माण तथा रजिस्ट्रेशन की विधि:—
भारतीय साझेदारी विधान, 1932 (इन्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932) के आधीन फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने हेतु यह आवश्यक है कि फर्म में कम से कम दो बालिग (Major) साझेदार हों जिन्होंने साझेदारी में कार्य करने हेतु अनुबन्ध लिखा हो । फर्म के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन पत्र म0प्र0 साझेदारी नियम 1951 के नियम 3 में बताये फार्म क्रमांक-1 पर होना आवश्यक है जो कि रजिस्ट्रार आफ फर्म्स एण्ड सोसायटीज, मध्यप्रदेश को 3 रूपये की ट्रेझरी चालान के साथ भेजना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस रूपये तीन स्थानीय शासकीय कोषालय या उप कोषालय (Treasury or Sub Treasury) में मद 21 मिस्लेनियस डिपार्टमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन आफ इन्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 (प्रोव्हिन्शियल) में चालान द्वारा जमा करनी होगी।

निर्धारित फार्म पर आवेदन पत्र रजिस्ट्रार कार्यालय को भेजने के पूर्व यह देख लेना चाहिये कि आवेदन पत्र ठीक प्रकार से भरा गया है और साझेदारों ने अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा हस्ताक्षरों का प्रमाणीकरण किसी वकील, एडव्होकेट विज्ञप्त पदाधिकारी या चाटर्ड अकाउन्टेन्ट्स ने किया है । प्रमाणीकरणकर्ता ने अपने हस्ताक्षर के नीचे स्पष्ट रूप से अपना नाम, पद या पता लिखना चाहिये ।

- 2— रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी होना :—रजिस्ट्रार आफ फर्म्स, मध्यप्रदेश के कार्यालय में फार्म क्रमांक-1 की जांच होने पर यह ठीक पाये जाने पर रजिस्ट्रार फर्म का रजिस्ट्रेशन करेगा तथा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संबंधित फर्म को फार्म क्रमांक-9 में निर्गमित करेगा ।

- 3— **फर्म के नाम में या कारोबार के प्रमुख स्थान में परिवर्तन होना:—**
उक्त विधान की धारा 60 (1) के आधीन यदि किसी फर्म के नाम या प्रमुख कारोबार के स्थान में परिवर्तन होया किया हो तो इस संबंधी सूचना रजिस्ट्रार आफ फर्म्स म0प्र0 को फार्म क्रमांक-2 पर भेजना होगी। ऐसी सूचना के लिये प्रस्तुत शुल्क रूपया एक स्थानीय कोषालय या उपकोषालय से उपरोक्त मद में चालान द्वारा जमा करना अनिवार्य है तथा चालन की एक प्रति उक्त फार्म के साथ संलग्न करना होगी। रजिस्ट्रार कार्यालय में सूचना लिखी जाने केपश्चात फार्म क्रमांक 10 में सूचना संबंधिन्त फर्म को भेजी जावेगी जो इस बात का प्रमाण होगी कि आवश्यक परिवर्तन रजिस्ट्रार द्वारा मान्य कर लिया गया है।
- 4— **फर्म के कारोबार के स्थान में (कारोबार के प्रमुख स्थान के अलावा) परिवर्तन :—**
जब कोई फर्म प्रमुख कारोबार के स्थान (Principal place of business) के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर फर्म की शाखा (Branch) उक्त विधान की धारा 61 के आधीन खोले या बन्द करें तो इस संबंध में सूचना रजिस्ट्रार को फार्म क्रमांक-3 पर देना होगी जिसकी प्रस्तुत शुल्क रूपया एक है यह शुल्क उपरोक्त रीति से ट्रेझरी में जमा करना अनिवार्य है।
- 5— **साझेदार के नाम या स्थाई पते में परिवर्तन :—**
फर्म के किसी साझेदार के नाम या स्थान पते में परिवर्तन होनेकी दशा में उक्त विधान की धारा 62 के आधीन सूचना पत्र फार्म क्रमांक-4 पर एक रूपये के ट्रेझरी चालान के साथ रजिस्ट्रार को भेजना होगा।
- 6— **फर्म की रचना में परिवर्तन या फर्म भंग होने की सूचना:—**
अब किसी फर्म में कोई नया सांझेदार सम्मिलित किया जाये या कोई सांझेदार भगीदारी से अलग होया फर्म को भंग कर दिया जाये तो ऐसी सूचना उक्त विधान की धारा 62(1) के अधीन रजिस्ट्रार को फार्म

क्रमांक-5 पर भेजनी हागी। प्रस्तुति शुल्क रूपया एक निर्धारित तरीके से ट्रेझरी में जमा करके चालान की प्रति उक्त फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ऐसी सूचना को मान्य कर लेने पर रजिस्ट्रार फार्म क्रमांक-10 में सूचना संबंधित फर्म या भागीदार को भेजेगा।

7- **वयस्क (बालिक) होने पर सांझेदारी के हितों में सम्मिलित कर लिये गय व्यक्ति द्वारा चुनाव की सूचना :-**

कोई अवयस्क व्यक्ति (नाबालिक) जो कि सांझेदारी फर्म के मुनाफे में सम्मिलित किया गया हो, बालिक हो जाने पर वह स्वयं को सांझेदारी में सांझेदार बनाने के लिये या न बनने के लिये चुने तो इस संबंधी सूचना फार्म क्रमांक-6 पर रजिस्ट्रार को भेजना होगी। निर्धारित तरीके अनुसार एक रूपया प्रस्तुति शुल्क ट्रेझरी में जमा करना होगी तथा चालान की एक प्रति उक्त फार्म के साथ संलग्न करना होगी ।

8- **भूलों का सुधार होना :-**

भारतीय सांझेदारी विधान, 1932 की धारा 64 रजिस्ट्रार की भूलों का सुधार करने का अधिकार देती है। इस अधिकार के आधीन रजिस्ट्रार किसी कर्म में समस्त भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन सुधार करने का आदेश दे सकता है।

9- **रजिस्टर आफ फर्म्स तथा अन्य लिखतमों का निरीक्षण करना :-**

मध्यप्रदेश सांझेदारी (फर्मों की रजिस्ट्री) नियम 1951 के नियम 19 में उल्लेखित सूची में दर्शित शुल्क निर्धारित विधिसे कोषालय में जमा करके तथा रजिस्ट्रार की लिखित रूप में मय ट्रेझरी चालान के आवेदन पत्र प्रस्तुत करके कोई भी व्यक्ति किसी भी रजिस्टर्ड फर्म के किसी लिखतम या किसी फर्म का फाइलआदि का निरीक्षण कर सकता है।

10- प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना :-

कोई भी व्यक्ति किसी भी रजिस्टर्ड फर्म के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र , उससे संबंधित रजिस्टर आफ फर्म्स के किसी लेख्य अथवा उसके किसी भी भाग को प्रमाणित प्रतिलिपि रजिस्ट्रार आफ फर्म्स मध्य प्रदेश को निम्न प्रकार से आवेदन करके प्राप्त कर सकता है।

(अ) किसी भी फर्म से संबंधित रजिस्टर आफ फर्म्स के (

) लेख्य या भाग की प्रति प्रमाणित प्रति हेतु 50 नए पैसे के हिसाब से शुल्क ट्रेझरी में चालान द्वारा जमा करनी होगी। शुल्क जमा करने की रीति व मद वहीं होगा जिसका उल्लेख पूर्व में किया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु एक रूपया का नाम ज्युडीशियल स्टाम्प आवेदन पत्र के साथभेजना आवश्यक है। तथा आवेदन पत्र पर 10 नये पैसे का कोर्ट की टिकिट लगाना अनिवार्य है। इस प्रकार रजिस्ट्रार को इस संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र के साथ तीन चीजें (ट्रेझरी चालान, नान ज्युडीशियल स्टाम्प व कोर्ट की टिकिट के नये पैसे) होगी ।

ब- फर्म के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रत्येक प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु एक रूपया शुल्क जमा करना होगी तथा अन्य समस्त कार्य उपरोक्त "अ" में वर्णित अनुसार ही करना होंगे ।

स- आवेदन पत्र में फर्म का नाम, रजिस्ट्रेशन क्रमांक व दिनांक स्पष्ट रूप से लिखना चाहिये ।

11- गलत विवरण देने की दशा में दण्ड का भागी होना :-

कोई व्यक्ति जो भारतीय साझेदारी विधान 1932 के आधीन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत होने वाले किसी प्रलेख लेचो, संशोधन लेखें, सूचना अथवा संज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है जिसमें इस प्रकार का वर्णन या विवरण हो जिसका गलत होना वह जानता हो अथवा जिसके सही होने का विश्वास उसे न हो अथवा जानबूझ कर अधूरे विवरण प्रस्तुत करता हो

तो वह उक्त विधान की धारा 71 के अधीन दण्ड का भागी न्यायालय द्वारा घोषित किया जा सकता है।

- 12— जांच अनुसंधान व रजिस्ट्रेशन निरस्त करने को रजिस्ट्रार की शक्ति :—
मध्यप्रदेश साझेदारी नियम 1951, के नियम 5 व 12 रजिस्ट्रार को कमशः किसी फर्म के संबंध में जांच, अनुसंधान व उसके रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने का अधिकार देते हैं, इस प्रकार के समस्त रजिस्ट्रार को नियमों में बताई प्रक्रिया के अनुसार ही करना होंगे।

मध्यप्रदेश सांझेदारी (फर्मों की रजिस्ट्री) नियम 1951

संक्षिप्त नाम :-

- 1- ये नियम, मध्यप्रदेश सांझेदारी (फर्मों की रजिस्ट्री) नियम, 1951 कहलावेंगे।
- 2- इन नियमों में जब तक कोई बात विषय या प्रसंग में विरुद्ध न हो परिभाषायें:-
 - अ- "विधान" से तात्पर्य " भारतीय सांझेदारी विधान (इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट) 1932" से है।
 - ब- "फर्म" से तात्पर्य किसी फर्म से है जिसकी विधान लागू होता हो
 - स- " रजिस्ट्रार " से तात्पर्य " फर्मों से रजिस्ट्रार" से है।

धारा 58 तथा 60-
के अधीन पत्रों का
फार्म तथा सत्यापन

3- विधान की धारा 58 तथा 60
के अधीन रजिस्ट्रार को प्रेषित वृत्तांत पत्र
क्रमशः इन नियमों से संलग्न फार्म क्रमांक
1 व 2 में होंगे और उन फार्मों के नीचे
टिप्पणी में उल्लिखित रीति में उनका सत्यापन
किया जावेगा।

धारा 61,62,और 63
के आधीन संज्ञापनों
तथा सूचना पत्रों का
फार्म

4- विधान की धारा 61,62,63 (1) व
(2) के आधीन संज्ञापन तथा सूचना-पत्र
क्रमशः इन नियमों से संलग्न फार्म क्रमांक
3,4,5 व 6 में ऐसे परिवर्तनों सहित होंगे
जैसे कि परिस्थितियों में आवश्यक हों।

जांच तथा अनुसंधान
करने को रजिस्ट्रार
की शक्ति

5- रजिस्ट्रार को अधिकार होगा कि वह
अपने विवेकानुसार किसी भी मामले के
संबंध में ऐसी जांच स्थापित करें या ऐसा

अनुसंधान करें, जो उसके कर्तव्यों के उचित संपादन तथा विधान के प्रशासन या किसी फर्म के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी विवाद के निबटारे के लिये आवश्यक हों।

फार्मों का रजिस्ट्रार

6— फार्मों का रजिस्टर इन नियमों से स संलग्न फार्म 7 में अंग्रेजी में होगा। प्रत्येक फर्म का नाम और उससे संबंधित विवरण उनकी रजिस्ट्री के क्रम में उसमें अलग पृष्ठ या पृष्ठों पर लिखें जावेंगे। प्रत्येक फर्म के लिये वित्तीय वर्ष (पहली अप्रैल) से प्रारम्भ होने वाले लगातार क्रम में एक क्रमांक नियत किया जावेगा। प्रस्तुत की गई प्रत्येक लिखतम की टिप्पणी रजिस्टर में संबंधित फर्म के लिये नियम पृष्ठया पृष्ठों पर लिखी जायेगी और रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित की जावेगी, प्रविष्टियां की जाने के पश्चात पृष्ठ रजिस्ट्री की जाने पर प्रत्येक फर्म को नियत किये गये संबंधित क्रमांक के सिलसिले में अबद्ध पन्नों के रजिस्ट्रों में बांधे जावेंगे।

रजिस्टर में प्रविष्टियों 7—
का संशोधन

जब फार्मों के रजिस्ट्रार में की गई प्रविष्टियों में संशोधन किया जाना हो तो संशोधन पर एक लाल रेखा खींच कर और संबंधित प्रविष्ट के सामने स्तम्भ में उपयुक्त टिप्पणी लिखकर दिया जावेगा और नई प्रविष्ट विद्यमान प्रविष्टियों के अन्त में उससे संबंधित अंश के उपयुक्त संदर्भ सहित की जावेगी।

रजिस्टर में की गई
प्रविष्टियों के विरुद्ध
विरोध

8— जब कोई सांझेदारी या हित रखने वाला
अन्य व्यक्ति फर्म के रजिस्ट्रार में की गई
किसी प्रविष्टि का विवाद करना चाहे तो उसे उसके
विवाद को रजिस्टर को लिखित सूचना देनी होगी
और रजिस्ट्रार उस समय विद्यमान प्रविष्टि के अन्त
में कोई भी प्रविष्टि करेगा और इस प्रकार विवाद
ग्रस्त प्रविष्टि के सामने टिप्पणी के स्तम्भ में
विवादग्रस्त प्रविष्टि के संबंधमें कुछ लाल स्याही से
उल्लेख करेगा।

फर्मों के रजिस्टर
अनुक्रमणिका

9—(अ) फर्मों के रजिस्टर की अनुक्रमणिका
अवद्ध पन्नों में अंग्रेजी में तैयार की जायेगी उन पर
अक्षरानुक्रम में अक्षर अंकित होंगे, और उसमें इन
नियमों से संलग्न फार्म क्रमांक-8 में बतलाए हुये
विवरण निहित होंगे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये
नवीन अनुक्रमणिका तैयार की जावेगी। प्रत्येक
फर्म का नाम उससे संबंधित प्रविष्टियों फर्मों के
रजिस्टर में किये जाने के पश्चात तुरन्त ही
अनुक्रमणिका में लिखा जावेगा।

ब— वर्ष में रजिस्ट्रीकृति समस्त फर्मों के अनुक्रमणिका
में लिखे जाने के पश्चात रजिस्ट्रार अनुक्रमणिका
की जांच करेगा और तब पृष्ठों पर स्याही से
संख्या अंकित की जावेगी

स— प्रत्येक वर्ष की अनुक्रमणिका उसकी जांच किये
जाने के पश्चात, उपयुक्त आकार की जिल्दों में
बांधी जावेगी।

मूल अंग्रेजी में नं.

10— यदि विधान के आधीन प्रेषित किये

10 होने पर अनुवाद जाने के लिये आदेशित कोई भी लिखतम प्रस्तुत किया जाना या ऐसी लिखतम का कोई भाग अंग्रेजी भाषा में न हो, तो ऐसी लिखतम या ऐसे भाग का अंग्रेजी अनुवाद, जो कमसे कम एक सांझेदार (या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि), द्वारा शुद्ध प्रमाणित हो, रजिस्ट्रार को प्रस्तुत को गई ऐसी लिखतम की प्रत्येक प्रति के साथ प्रस्तुत किया जावेगा।

लिखतमों तथा रजिस्ट्री की अभिस्वीकृति 11—(अ) फर्म का रजिस्ट्रेशन होने पर रजिस्ट्रार इन नियमों से संलग्न फार्म क्रमांक—9 में अभिस्वीकृति देगा और विधान के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिये आदेशित लिखतम के प्रस्तुत होने पर वह उस व्यक्ति भी जिसके आवेदन पर वह प्रकरण पत्र में वह सम्मिलित की जाये, अभिस्वीकृति इन नियमों से संलग्न फार्म क्रमांक—10 में देगा।

(ब) विधान के अधीन रजिस्ट्रकृति या प्रकरण—पत्र में सम्मिलित प्रत्येक लिखतम पर रजिस्ट्रार निम्नलिखित विवरण अनुलेखित करेगा :—

- (1) रजिस्टर में फर्म का क्रमांक—1
- (2) लिखतम का अनुक्रमांक और
- (3) रजिस्ट्रीकरण या प्रकरण पत्र में सम्मिलित किये जाने का दिनांक रजिस्ट्रार ऐसी लिखतम पद अपने हस्ताक्षर और अपने कार्यालय की मुद्रा भी अंकित करेगा।

लिखतमों का प्रकरण 12— प्रत्येक फर्म के संबंध में अलग प्रकरण पत्रिका रखी जावेगी जिसमें रजिस्ट्रार

किया जाना ।

द्वारा प्राप्त लिखतम जा उससे संबंधित हों, समय समय पर सम्मिलित को जावेंगी। रजिस्ट्रर किसी भी लिखतम को तब तक सम्मिलित नहीं करेगा जब तक उसके लिये नियत शुल्क या भुगतान न कर दिया जाय।

शुल्कों का हिसाब
तथा पावती

13— रजिस्ट्रर के कार्यालय में प्राप्त किये गयेसमस्त शुल्कों का हिसाब फार्म क्रमांक-11 में रखा जावेगा। प्राप्त किये गये प्रत्येक शुल्क के लिये फार्म क्रमांक-12 में पावती दी जावेगी।

मूल लिखतमों का
निरीक्षण

14— नियम 19 में नियत शुल्क के भुगतान पर फर्मों का रजिस्ट्रर तथा अन्य समस्त लेखांकित लिखतमों का काम-काल के समय में रजिस्ट्रर को प्रस्तुतलिखित आवेदन-पत्र निरीक्षण किया जा सकेगा। रजिस्ट्रर के कार्यालय में रखे गये लिखतमों के प्रकरण पत्रिका का भी इसी प्रकार निरीक्षण उसके हेतु आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा। यदि आवेदक रजिस्ट्रर को यह तुष्टि करें कि लिखतम का जिसके संबंध में वह निरीक्षण के लिये आवेदन कर रहा है विषय वस्तु में उसका पर्याप्त हित है। औरयह किकेवल फर्मों के रजिस्ट्रर का निरीक्षण उसके आशय के लिये पर्याप्त नहीं होगा । लेखा संग्रह के समस्त निरीक्षण किसी व्यक्ति की उपस्थिति में किये जावेंगे। रजिस्ट्रर या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति निरीक्षण करते समय निरीक्षण

करने वाले व्यक्ति को ऐसे किसी प्रलेख की नकल करने की स्वीकृति नहीं देगा।, लेकिन किसी लिखतम के संबंध में पैंसिल से ऐसी टिप्पणियां लेने की ही अनुमति वह देगा जो कि फर्मों के रजिस्टर का प्रविष्ट किया अंश की प्रमाणित प्रति लेने के लिये आवेदन करने हेतु उसको सहायक हो।

प्रतिलिपियों के लिये
लिखतमों का लिखित
रूप में होना

15— फर्मों के रजिस्टर में की गई किसी प्रविष्ट या उसके किसी भाग की प्रतिलिपि या नियम 11 के अधीन विर्गसित अभिस्वीकृति की प्रतिलिपि के लिये आवेदन पत्र नियम 19 में नियत आपेक्षित प्रतिलिपि शुल्क के साथ लिखित रूप में होगा

मुद्रा

16— रजिस्ट्रार के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली मुद्रा में फर्मों के रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश शब्द होंगे।

रजिस्ट्रारों तथा लेख्य
लेख्य संग्रहों का संरक्षण
तथा हटाया जाना

17— निम्नलिखित रजिस्टर तथा कागज स्थायी रूप से रखे जावेगें:—

(अ) फर्मों का रजिस्टर, (ब) विद्यमान फर्मों की समस्त रजिस्ट्रीकृत लिखत में, (स) गि हुई फर्मों की रजिस्ट्री के प्रमाण पत्र, (द) भंग आदेश, (इ) मध्यप्रदेश शासन के विधि—सुमन्त को भेजे गये सन्दर्भ या पत्र (फ) विधि—सुमन्त के मत, (ग) विधि में संशोधनों के संबंध में शासन को व्यवसायार्थ प्रेषण और उनके उत्तर (ह) अनुकृमाणिका रजिस्टर ।

(2) निम्नलिखित रजिस्टर तथा कागज पांच वर्ष पश्चात विनिष्ट कर दिये जावेंगे :-

(अ) रोकड़ पुस्तक

(ब) शुल्कों का रजिस्टर

(स) भंग हो चुकी फर्मों के उपरोक्त के

अतिरिक्त कागज

(द) उपरोक्त के अतिरिक्त रजिस्टर तथा

कागज परवर्ती ।

(3) निम्नलिखित रजिस्टर तथा कागज परवर्ती ।

एक अप्रैल से दो वर्ष बाद विनिष्ट कर दिये जावेंगे:-

अ- पावती बुक

ब- प्रेषण रजिस्टर

स- अन्य नियम क्रम के पत्र व्यवहार

द- रूपों आदि के लिये अपेक्षित वस्तु सूची

इ- कोषालय की पावतियां

(4) निम्नलिखित रजिस्टर तथा कागज परवर्ती एक अप्रैल से एक वर्ष बाद विनिष्ट कर दिये जावेंगे:-

अ- स्मरण पत्र

ब- विलम्ब के स्पष्टीकरण ।

निष्क्रिय फर्मों की
रजिस्ट्री का निरसन

18- (1) जब रजिस्ट्रार को यह विश्वास करने का कारण हो कि फर्म करोबार नहीं कर रही है, या यह कि वह अंतिम रूप से भंग की जा चुकी है किन्तु उसका नियत संज्ञापन नहीं किया गया है, तो वह फर्म के प्रत्येक सांझेदार को उसके

अन्तिम ज्ञात पते पर डाक द्वारा पत्र भेज कर यह पूछेगा कि क्या फर्म कारोबार कर रहा है या क्रियाशील है।

(2) यदि रजिस्ट्रार किसी भी सांझेदार से इस आशय का उत्तर प्राप्त करें कि फर्म कारोबार नहीं कर रही है या क्रियाशील नहीं है या पत्र के डालने के दिनांक से एक मास के भीतर उसे कोई उत्तर प्राप्त न हो तो वह सूचना पत्र गजट में प्रकाशित करेगा और रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा समस्त सांझेदारों को भेजेगा कि उस सूचना पत्र के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर उसमें उल्लिखित फर्म का नाम, जब तक विपरीत कारण न बताया जावे, काट दिया जावेगा और फर्म भंग हो जावेगी तथा उसकी रजिस्ट्री निरस्त समझी जावेगी।

(3) सूचना पत्र में उल्लिखित समय की समाप्ति पर रजिस्ट्रार जब तक कि सांझेदारों द्वारा पूर्व में कारण न बतलाये जावें, रजिस्ट्रार फर्म का नाम काट देगा और अधासन गजट में इस तथ्य की सूचना पत्र प्रकाशित करेगा और ऐसे प्रकाशन पर फर्म भंग हुई समझी जावेगी।

शुल्क

19— विधान की धारा 66 और 67 के अधीन निरीक्षण व प्रमाणित प्रतिलिपियां देने हेतु निम्नांकित शुल्क देय होगी:—

(1) नियम 14 के अधीन प्रत्येक निरीक्षण के लिये— रजिस्टर के एक भाग या एक फर्म

से संबंधित समस्य निरीक्षण के लिये 8 आने।

- (2) नियम 15 के अधीन किसी प्रलेख या उसके किसी अंश की प्रमाणित प्रतिलिप के लिये प्रति सौ शब्दों या उसके भाग के लिये 4 आना।
- (3) नियम 11 के अधीन रजिस्ट्रेशन को अभिस्वीकृति की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु 'एक रूपया।
- (4) किसी फर्म या व्यक्ति द्वारा विधान या इन नियमों के अधीन देय शुल्क स्थानीय कोषालय में जमा किये जावेंगे और ऐसे भुगतान के प्रतीक में कोषालय की पावतियां रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तुत की जावेंगी।

लिखतमों को प्रस्तुति

20— रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली लिखतमें मुद्रित या टाइप की हुई होगी और उसको व्यक्तिशः या डाक द्वारा दी जा सकती है। कोई भी तथ्य केवल मौखिक सूचना पर लेखांकित नहीं किया जावेगा।

कार्यालय के घन्टे

21— कामकाज के लिये रजिस्ट्रार का कार्यालय (रविवार तथा छुट्टियों को छोड़कर) 11 बजे पूर्वान्ह से 3 बजे अपरान्ह तक खुला रहेगा।

आवश्यक फार्मस

फर्म क्रमांक-1

(देखिये नियम -3) प्रस्तुत शुल्क 3 रूपये

..... के नाम से फर्म रजिस्ट्री के हेतु आवेदन पत्र फर्मों के रजिस्ट्री को प्रकरण पत्र में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तुत अथवा प्रेषित।

हम निम्न हस्ताक्षरित फर्म के सांझेदार होने के कारण उक्त फर्म की रजिस्ट्रार के लिये आवेदन करते हैं। तथा उस आशय के हेतु इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा 58 के अनुसारण में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं। :-

फर्म का नाम

कारोबार का

स्थान

सांझेदारों के पूरे नाम

अ- प्रमुख स्थान

ब- अन्य स्थान

फर्म में सम्मिलित होने पूरा स्थायी पता

का दिनांक

1-

2-

यहाँ फर्म का नाम लिखियें
यदि कोई सांझेदार अवयस्क हो तो यह तथ्य कि क्या वह सांझेदारी के लाभों का स्वत्वाधिकारी है, यहाँ लिखा जाना चाहिये

स्थाना----- सांझेदारों या उनके विशेष रूप से
दिनांक --- - - - - - प्राधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर।

मैं - - - - - आत्मज - - - - -

आयु- - - - - वर्ष- - - - - धर्म, इसके द्वारा यह घोषित करता हूँ कि
उपरोक्त वृत्तान्त मेरे पूर्णतम ज्ञान तथा विश्वास से सत्य तथा यथार्थ है।

दिनांक --- - - - -

स्थान - - - - - हस्ताक्षर

मैं - - - - - आत्मज - - - - - आयु - - - - - वर्ष

- - - - - धर्म - - - - - इसके द्वारा यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त वृत्तान्त मेरे
पूर्णतया ज्ञान तथा विश्वास से सत्य तथा यथार्थ है।

दिनांक - - - - -

साक्षी - - - - - हस्ताक्षर

टिप्पणी:- फार्म क्रमांक-1 समस्त सांझेदारों या इस संबंध में उनके विशेष रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा साक्षी या साक्षियों की, जो विज्ञप्त पदाधिकारी, अभिवक्ता, एटर्नी, वकील अवैतनिक मजिस्ट्रेट या रजिस्ट्रीकृत गणक होना चाहिये, उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये

फार्म - क्रमांक-2
(देखिये - नियम -3) प्रस्तुत शुल्क-1 रुपये

फर्म के नाम में या कारोबार के प्रमुख स्थान में परिवर्तन का वृत्तान्त पत्र फर्मों के रजिस्ट्रार को प्रकरण पत्र में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तुत या प्रेषित ।

हम निम्न हस्ताक्षरित फर्म के सांझेदार होने के कारण इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा 60 (1) के अनुसरण में निम्नांकित विवरण प्रस्तुत करते हैं। :-

फर्म का नाम - - - - -

पूर्व का नाम नवीन नाम

कारोबार का प्रमुख स्थान

पूर्व का स्थान नवी स्थान

स्थान - - - - - सांझेदारों या उनके विशेष रूप से

दिनांक - - - -

प्राधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर

मैं - - - - - आत्मज - - - - - आयु - - - - - वर्ष
- - - - धर्म - - - - - इसके द्वारा यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त वृत्तांत मेरे
पूर्णतम ज्ञान तथा विश्वास से सत्य तथा यथार्थ है।

दिनांक - - - -

स्थान - - - -

हस्ताक्षर

मैं - - - - - आत्मज - - - - - आयु - - - - - वर्ष - - - - -
धर्म - - - - - इसके द्वारा यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त वृत्तान्त मेरे पूर्णतम
ज्ञान तथा विश्वास में सत्य तथा यथार्थ है।

दिनांक - - - - -

साक्षी - - - - -

हस्ताक्षर - - - -

0 यहाँ फर्म का नाम लिखियें
टिप्पणी - अनावश्यक मद को काट दीजिये।

फार्म क्रमांक -3

(देखिये नियम -4) प्रस्तुत शुल्क-1 रूपया

कारोबार के स्थान में (कारोबार के प्रमुख स्थान के अतिरिक्त) परिवर्तन
का संज्ञापन ।

फर्मों के रजिस्टार की कप्रिकरण पत्र में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तुत या
प्रेषित ।

इण्डियन पार्टिकनरशिप एक्ट, 1932 की धारा 61 के अधीन यह संज्ञापित
किया जाता है कि नीचे निर्दिष्ट परिवर्तन फर्म - - - -

के कारोबार के स्थान में हुई है:-

परिवर्तन का दिनांक - - - - -

1- फर्म से - - -

में कारोबार बन्द कर दिया है।

2- फर्म ने में कारोबार प्रारंभ कर दिया है।

फर्म के किसी सांझेदार अथवा प्रतिनिधि के
हस्ताक्षर

स्थान - - -

दिनांक- - -

यहाँ फर्म का नाम लिखियें

टिप्पणी ' अनावश्यक मद को काट दीजिये ।

फार्म क्रमांक - 4

(देखिये नियम -4) प्रस्तुत शुल्क-1 रूपया

सांझेदार के नाम या स्थायी पते में परिवर्तन का संज्ञापन
फर्मों के रजिस्ट्रार की प्रकरण पत्र में सम्मिलित करने के हेतु प्रस्तुत या प्रेषित
।

इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 62 केअधीन यह संज्ञापित
किया जाता है कि नीचे निर्दिष्ट परिवर्तन फर्म ⁰ --- - - - --- के
सांझेदार के नाम या तथा स्थाई पते में हुये है। :-

सांझेदार का नाम

पूर्व का नाम (पूरा)

नवीन नाम (पूरा)

सांझेदार का पता

पूर्व का स्थायी पता (पूरा)

वर्तमान स्थाई पता(पूरा)

स्थान- - - - -

फर्म के किसी सांझेदार अथवा

दिनांक - - - - -

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

0 यहाँ फर्म का नाम लिखिये

टिप्पणी - अनावश्यक मद को काट दीजिये।

फार्म क्रमांक - 5

(देखिये नियम-4) प्रस्तुत शुल्क 10 रूपये

फर्म की रचना में परिवर्तन या फर्म के भंग होने का सूचना पत्र फर्मों के रजिस्ट्रार को प्रकरण पत्र में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तुत या प्रेषित ।

इन्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा 62 (1) के अधीन इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि :-

(1) फर्म⁰ - - - - - की रचना में निम्नलिखित रूप में परिवर्तन किया गया है :-

सम्मिलित होने वाले साझेदार का नाम और पूरा पता और उसके सम्मिलित होने का दिनांक	निकलने वाले साझेदार का नाम और पूरा पता और उसके सम्मिलित होने का दिनांक
---	--

स्थान - - -

दिनांक - - -

सम्मिलित होने वाले, चालू रहने वाले या निकलने वाले साझेदार या उसके

विशेष रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि केहस्ताक्षर

(2) फर्म⁰ --- -- -- -- -- दिनांक -- -- -- से भंग कर दी गई है

स्थान -- -- --

दिनांक -- -- --

भंग होने के तुरन्त पूर्व व्यक्ति के,
जो साझेदार था, या उसके विशेष
रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

0 यहाँ फर्म का नाम लिखिये

टिप्पणी – अनावश्यक मद को काट दीजिये।

फार्म क्रमांक – 6

(देखिए नियम-4)

प्रस्तुतिशुल्क 1 रूपया

वयस्क होने पर सांझेदारों के हितोंमें सम्मिलित कर दिये व्यक्ति द्वारा

चुनाव का सूचना पत्र

फर्मों के रजिस्ट्रार को प्रकरण पत्र में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तुत या प्रेषित ।

इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 63 (2) के अधीन यह सूचना दी जाती है कि फर्म — — — — में सांझेदारी के हितों में सम्मिलित कर दिये गये — — — — ने अब वयस्क हो जाने पर उक्त फर्म का सांझेदार चुन लिया । नहीं चुना है।

स्थान — — — —

दिनांक — — — —

चुनाव करने वाले व्यक्ति अथवा उसके विशेष रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

0 यहाँ फर्म का नाम लिखिए

फार्म क्रमांक — 7

(देखिये नियम-6)

फर्मों का रजिस्टर

- 1— फर्म का अनुक्रमांक — — — — —
 - 2— फर्म का नाम — — — — —
 - 3— रजिस्ट्री का दिनांक — — — — —
 - 4— फर्म की अवधि
-

5-पता । परिवर्तन का दिनांक । टिप्पणी

6- साझेदार

7- कारोबार का प्रमुख स्थान और उसमें परिवर्तन
स्थान के संबंध में विवरण । परिवर्तन का दिनांक । टिप्पणी

8- कारोबार के अन्य स्थान
स्थान का नाम । दि. आरंभ होने का । दि.बंद होने का । टिप्पणी

9- फर्म का नाम
लिखतम का अनुक्र० लिखतम का प्रकरण पत्र में रजिस्ट्रार
विवरण सम्मिलित करने के हस्ताक्षर
का दिनांक

फार्म क्रमांक - 8

(देखिये नियम - 9)

फर्मों के रजिस्टर की अनुक्रमाणिका

फर्म का नाम । साझेदारों का नाम । कारोबार का प्रमुख स्थान । व्यापार

जिल्द क्रमांक । प्रविष्ट का प्रथम पृष्ठ रजिस्टर का क्रमांक

फार्म क्रमांक – 9

(देखिये नियम 11 अ)

फर्म की रजिस्ट्री की अभिस्वीकृत

फर्मों के रजिस्ट्रार, इण्डियन पार्टनरशिप 1932 की धारा 58(1) द्वारा नियत वृतांत पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते हैं। वृतान्त-पत्र सम्मिलित किया गया है और फर्म का नाम – – – – – फर्म के रजिस्टर में क्रमांक – – – – सन 19 के रूप में लिखा गया है।

मुद्रा

फर्मों के रजिस्ट्रार

दिनांक

0 यहाँ फर्म का नाम लिखिये

फार्म क्रमांक 10

(देखिये नियम 11अ)

लिखतमों की प्राप्ति की अभिस्वीकृति का स्मरण पत्र

फर्मों के रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश, निम्नलिखित तथा उसके सामने लिखे गये शुल्क की प्राप्ति स्वीकार करते हैं। और यह संज्ञापित करते हैं कि यह इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा — — — — के अनुसरणप्रकरण पत्र में सम्मिलित की गई है।

दिनांक — — — सन 19

फर्मों के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

क्रमांक — — — — — दिनांक — — — — — 199 के फर्म के प्रबंध प्रतिनिधि, संचालक कोउसके उनके पत्र क्रमांक — — — दिनांक — — — 19 के सन्दर्भ में प्रेषित ।

दिनांक — — — — —

फर्मों के रजिस्ट्रार

फार्म क्रमांक —11

(फर्मों के रजिस्ट्रार का कार्यालय)

शुल्क रजिस्टर

प्राप्ति का दिनांक	प्राप्त धनराशि	किससे प्राप्त हुई
1	2	3
किस कारण	शासकीय कोषालय में भेजने का दिनांक	
4	5	

फार्म क्रमांक — 12

(देखिये नियम 13)

शुल्क की पावती

— — — — — से (शब्दों में) — — — — —

धनराशि — — — — — के शुल्क के रूप में प्राप्त हुई ।

रु. आ. पा.

